पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914

विषय–सूची

अध्याय I

प्रारंभिक

धाराएं		
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।	
2.	अधिनियमितियों का निरसन।	
3.	परिभाषाएं।	
4.	देसी शराब और विदेशी शराब ।	
5.	परचून और थोक बिक्री द्वारा बिक्री की परिसीमा घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति।	
6.	इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं, अनुज्ञा–पत्रों आदि के लागू होने को परिसीमित करने की शक्ति।	
7.	अधिनियमितियों की व्यावृत्ति।	
	अध्याय II **स्थापना और नियन्त्रण**	
8.	आबकारी प्रशासन और आबकारी अधिकारियों का अधीक्षण और नियंत्रण।	
9.	आबकारी आयुक्त ।	
10.	आबकारी अधिकारियों के अन्य वर्ग, उनकी शक्तियां तथा शक्तियां प्रदान करने का ढंग।	
11.	इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों में विशिष्ट शक्तियां विनिहित करने की शक्ति ।	
12.	अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं।	
13.	प्रत्यायोजन।	
14.	अपील ।	
15.	पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन ।	
	अध्याय III **आयात, निर्यात और परिवहन**	
16.	मादक द्रव्य का आयात, निर्यात और परिवहन ।	
17.	राज्य सरकार की मादक द्रव्यों के आयात, निर्यात और परिवहन की मनाही करने की शक्ति।	
18.	आयात, निर्यात और परिवहन के लिए पासों का आवश्यक होना।	
19.	आयात, निर्यात और परिवहन के लिए पार्सों का दिया जाना।	
	अध्याय IV **विनिर्माण, कब्जा, बिक्री, क्रय तथा उपभोग**	
20.	इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन के सिवाय मादक द्रव्यों के विनिर्माण की मनाही।	
21.	आसवनियों और मद्य निर्माण शालाओं की स्थापना अथवा अनुज्ञापन।	
22.	भाण्डागारों की स्थापना अथवा अनुज्ञापन।	
23.	आसवनी, आदि से मादक द्रव्य का हटाया जाना।	
24.	मादक द्रव्यों का कब्जा, कुछ दशाओं में मादक द्रव्यों के कब्जे की मनाही और निर्बन्धन।	
24क.	कुछ व्यक्तियों द्वारा अप्रयुक्त तथा मुद्रित लेवलों, कार्को आदि के कब्जे का दण्डनीय होना।	
25.	विधि–विरूद्ध रूप से विनिर्मित, आयातित आदि मादक द्रव्यों के कब्जे की मनाही।	
26.	मादक द्रव्य के क्रय, बिक्री तथा उपभोग की मनाही।	
27.	विनिर्माण आदि के लिए पट्टा प्रदान।	
28.	सैनिक छावनियों में शराब का विनिर्माण और बिक्री।	

29.	पच्चीस वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को शराब की बिक्री करने की मनाही।	
30.	पच्चीस वर्ष से कम आयु के पुरुषों के और महिलाओं के, नियोजन की मनाही।	
	अध्याय V शुल्क और फ़ीसें	
31.	आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क।	
32.	रीति जिसमें शुल्क उगाहा जा सकता है।	
33.	पट्टे प्रदान किए जाने पर भुगतान।	
33–क.	संविधान के प्रारंभ पर उगाहे जा रहे शुल्कों के लिए व्यावृत्ति।	
	अध्याय VI अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा–पत्र और पास	
34.	अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञा–पत्रों तथा पासों के लिए फ़ीसें, निबंधन और प्ररूप तथा अवधि प्रतिभूति।	
35.	बिक्री के लिए अनुज्ञप्तियों का देना; लोकमत का पता लगाना।	
36.	अनुज्ञप्तियों आदि को रद्द अथवा निलम्बित करने की शक्ति।	
37.	किसी अन्य अनुज्ञप्ति को रद्द करने की शक्ति ।	
38.	फीस वसूल करने की शक्ति।	
39.	प्रदानों को प्रबन्ध के अधीन लेने और उन्हें पुनः बेचने की कलक्टर की शक्ति।	
40.	इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति आदि के रद्द करण या निलम्बन के लिए किसी भी प्रतिकर या वापसी का दावा योग्य न होना।	
41.	अनुज्ञप्तियां वापस लेने की शक्ति। वापस लेने की दशा में प्रतिकर। फ़ीस तथा जमा राशि का वापस किया जाना।	
42.	अनुज्ञप्ति आदि में तकनीकी अनियमितताएं।	
43.	किसी अनुज्ञप्ति आदि को नवीकृत करने से इंकार करने के परिणाम स्वरूप किसी दावे का न हो सकना।	
44.	अनुज्ञप्ति का लौटाया जाना।	
	अध्याय VII अधिकारियों आदि की शक्तियां और उनके कर्त्तव्य	
45.	विनिर्माण और बेचने के स्थानों में प्रवेश करने और उनका निरीक्षण करने की शक्ति।	
46.	इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का अन्वेषण करने की आबकारी अधिकारियों की शक्तियां।	
47.	गिरफ्तार, अभिग्रहण और निरूद्ध करने की शक्तियां।	
48.	तलाशी या गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति।	
49.	बिना वारण्ट तलाशी लेने की आबकारी अधिकारी की शक्ति। अभिग्रहण, निरोध, तलाशी और गिरफ्तारी की अतिरिक्त्त शक्तियां।	
49–क.	सूचना प्राप्त करने की आबकारी अधिकारियों की शक्ति।	
50.	गिरफ्तारी, तलाशियों आदि के बारे में प्रक्रिया।	
51.	पुलिस द्वारा आबकारी अधिकारियों की सहायता करना।	
52.	भू–धारकों तथा अन्य व्यक्तियों की सूचना देने का कर्तव्य।	
53.	पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी का अभिगृहीत बस्तुओं की सुपुर्दगी लेने का कर्त्तव्य।	
54.	लोक शान्ति के लिए दुकानें बन्द कराने की शक्ति।	

	अध्याय VIII **साधारण उपबन्ध**	
55.	माप, बाट और परीक्षण करने के उपकरण।	
56.	अधिनियम के उपबन्धों से मादक द्रव्य को छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति।	
57.	वादों का वर्जन।	
57–क.	आसवनियों द्वारा बेचे जाने वाले मादक द्रव्यों की कीमत नियत करना।	
58.	राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति नियमों का पूर्व प्रकाशन।	
59.	वित्तायुक्त की नियम बनाने की शक्तियां।	
60.	देय राशियों की वसूली।	
	अध्याय IX अपराध और शास्तियां	
61.	न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराधों के लिए शास्ति	
61–क.	न्यायालय द्वारा अविचारणीय अपराधों के लिए शास्ति।	
62.	पच्चीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को विधि–विरूद्ध या बेचने या उनको अथवा महिलाओं को नियोजित करने के लिये शास्ति ।	
63.	विकृत स्पिरिट को मानव उपभोग के योग्य बनाने या बनाने का प्रयत्न करने के लिए शास्ति ।	
63–क.	धारा 24–क के उल्लंघन में अप्रयुक्त तथा मुद्रित लेबलों, कार्को आदि के कब्जे के लिये शास्ति ।	
64.	अनुज्ञप्त विनिर्माता अथवा विक्रेता या उसके सेवक द्वारा कपट करने पर शास्ति।	
65.	अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवक द्वारा किये गये कतिपय कृत्यों के लिये शास्ति।	
66.	ओषध–विक्रेता की दुकान आदि में उपभोग करने के लिए शास्ति।	
67.	एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लेखे विनिर्माण, विक्रय अथवा कब्जा।	
68.	ऐसे अपराधों के लिए शास्ति जिनके लिये अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है।	
68–क.	पूर्व दोषसिद्धि के बाद किन्हीं अपराधों के लिए वर्धित दण्ड।	
69.	अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों को करने का प्रयत्न।	
69–क.	कतिपय अपराधों को करने से विरत रहने के लिये प्रतिभूति।	
70.	तंग करने वाली तलाशी आदि लेने वाले आबकारी अधिकारी के लिये शास्ति।	
71.	कार्यवाहियां संस्थित करने के लिये अन्वेषण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट।	
72.	अपराधों का जमानतीय होना।	
73.	बिना वारण्ट के गिरफ्तारी के मामलें में उपस्थिति के लिए प्रतिभूति।	
74.	निरसित ।	
75.	अपराधों का संज्ञान।	
76.	कतिपय मामलों में अपराध किए जाने के बारे में उपधारणा।	
76–क.	धारा 63 के अधीन अभियोजनाओं में, अपराध किए जाने के बारे में उपधारणा।	
77.	कर्मचारी अथवा अभिकर्त्ता द्वारा किए गए अपराध के लिये नियोजक या दायित्व।	
78.	उन वस्तुओं की जब्ती जिनकी बाबत अपराध किया गया है।	
79.	जब्ती के लिये अतिरिक्त उपबन्ध।	
80.	अपराधों का प्रशमन करने के लिये आबकारी अधिकारियों की शक्ति।	
80–क.	शास्ति का अधिरोपण।	
80–ख.	अपील।	
	अनुसूची I अनुसूची II	

[9][हरियाणा] आबकारी अधिनियम, 1914[1]

(1914 का अधिनियम 1)

(12 जनवरी, 1914)

(अधिप्रमाणित हिन्दी पाठ के प्रकाशन हेतु हरियाणा के राज्यपाल का प्राधिकार 24 जुलाई, 1984 को प्राप्त हुआ और वह हरियाणा राजपत्र (असाधारण, भाग 1) में तिथि 4 अगस्त, 1984 को पृष्ठ 103–140 पर प्रकाशित हुआ। यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खंड (ख) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा।)

1	2	3	4
वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	विधान द्वारा निरसित या अन्यथा प्रभावित
1914	1	[9][हरियाणा] आबकारी अधिनियम, 1913	1920 के अधिनियम 38 द्वारा भागतः निरसित और संशोधित। 1925 के पंजाब अधिनियम 2 द्वारा संशोधित।[2] 1930 के पंजाब अधिनियम 2 द्वारा संशोधित। भारत सरकार (भारतीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा संशोधित। 1940 के पंजाब अधिनियम 1 द्वारा संशोधित[3]। [4]1984 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 9 द्वारा संशोधित[5]। [6]1949 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 12 द्वारा संशोधित[7]। भारतीय स्वातंत्र्य (बंगाल और पंजाब के अधिनियमों का अनुकूलन) आदेश, 1948 (ग.ज.आ. 40) द्वारा संशोधित। विधियों का अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा संशोधित। विधियों का अनुकूलन (तृतीय संशोधन) आदेश, 1951 द्वारा संशोधित। 1955 के पंजाब अधिनियम 18 द्वारा संशोधित[8]।

1. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए पंजाब राजपत्र 1913, भाग ट, पृष्ठ 161; प्रवर समिति की रिपोर्ट के लिए देखिए पंजाब राजपत्र, 1913, भाग ट, पृष्ठ 247; तथा परिषद् में कार्यवाहियों के लिए, देखिए पंजाब राजपत्र, 1913, भाग ट पृष्ठ 177– 301.

2. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए पंजाब राजपत्र, 1924, भाग ट, पृष्ठ 81–82; प्रवर समिति की रिपोर्ट के लिए तत्रैव देखिए, 1925, भाग ट, पृष्ठ 58–60 तथा परिषद् में कार्यवाहियों के लिए, देखिए पंजाब विधायी परिषद् विचार–विमर्श, जिल्द टप्प पृष्ठ 357–58, 385–402, तथा जिल्द टप्प्प अ, पृष्ठ 313–17. यह अधिनियम अधिसूचना संख्या 17425, दिनांक 27 जुलाई, 1925 द्वारा प्रथम अगस्त, 1925 को लागू हुआ।

3. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए पंजाब राजपत्र, 1940, असाधारण, पृष्ठ 220 तथा विधान सभा में कार्यवाहियों के लिए देखिए पूर्वी पंजाब विधान सभा विचार विमर्श, जिल्द ग्प अ, पृष्ठ 389–93, 462–94 तथा 537–39.

4. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए पंजाब राजपत्र, 1948, असाधारण, पृष्ठ 265; विधान सभा में कार्यवाहियों के लिए, देखिए पूर्वी पंजाब विधान सभा विचार विमर्श, जिल्द प्प पृष्ठ 675–77.

5. यह अधिनियम अधिसूचना संख्या 2421–आ. तथा क., दिनांक 12 जून, 1948 द्वारा 12 जून, 1948 को लागू हुआ।

6.उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए पूर्वी पंजाब राजपत्र, 1949, असाधारण, पृष्ठ 140; विधान सभा में कार्यवाहियों के लिए. देखिए पूर्वी पंजाब विधान सभा विचार विमर्श, जिल्द III पृष्ठ (24) 75–(24) 82.

7. यह अधिनियम अधिसूचना संख्या 1990–आ. तथा क., दिनांक 10 मई, 19.49 द्वारा 10 मई, 1949 को लागू हुआ।

8. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देग्खिाए पंजाब राजपत्र (असाधारण), 1955 पृष्ठ 716

1956 के पंजाब अधिनियम 35 द्वारा संशोधित[9]।
1958 के पंजाब अधिनियम 18 द्वारा उन राज्य क्षेत्रों पर प्रसारित जो पहली नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ के राज्य में समाविष्ट थे।
1963 के पंजाब अधिनियम 22 द्वारा संशोधित[10]।
1963 के पंजा अधिनियम 31 द्वारा संशोधित[11] ।
1964 के पंजाब अधिनियम 25 द्वारा संशोधित [12]।
1965 के पंजाब अधिनियम 8 द्वारा संशोधित [13]।
1967 के हरियाणा अधिनियम 5 द्वारा संशोधित[14]।
हरियाणा विधि अनुकूलन (राज्य तथा समवर्ती विषय) आदेश, 1968[15]।
1973 के हरियाणा अधिनियम 28 द्वारा संशोधित[16]।
1976 के हरियाणा अधिनियम 10 द्वारा संशोधित[17]।
1982 के हरियाणा अधिनियम 7 द्वारा संशोधित[18]।
1987 के हरियाणा अधिनियम 8 द्वारा संशोधित[19]।
1990 के हरियाणा अधिनियम 2 द्वारा संशोधित[20]।
1996 के हरियाणा अधिनियम 2 द्वारा द्वारा संशोधित[21]।
1997 के हरियाणा अधिनियम 12 द्वारा द्वारा संशोधित[22]।
1997 के हरियाणा अधिनियम 19 द्वारा संशोधित[23]।
1998 के हरियाणा अधिनियम 5 द्वारा संशोधित [24] ।
1998 के हरियाणा अधिनियम 20 द्वारा संशोधित[25]।
1999 के हरियाणा अधिनियम 2 द्वारा द्वारा संशोधित[26]।
2001 के हरियाणा अधिनियम 4 द्वारा संशोधित[27]।
2002 के हरियाणा अधिनियम 19 द्वारा संशोधित[28]।
2003 के हरियाणा अधिनियम 5 द्वारा संशोधित[29]।
2007 के हरियाणा अधिनियम 15 द्वारा संशोधित[30]।
2011 के हरियाणा अधिनियम 12 द्वारा संशोधित[31]।
2019 के हरियाणा अधिनियम 19 द्वारा संशोधित[32]।
2020 के हरियाणा अधिनियम 4 द्वारा संशोधित[33]।
2021 के हरियाणा अधिनियम 15 द्वारा संशोधित[34]।
2022 के हरियाणा अधिनियम 8 द्वारा संशोधित[35]।

9. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए पंजाब राजपत्र (असाधारण), 1956, पृष्ठ 357–58.
10. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए पंजाब राजपत्र (असाधारण), 1963, पृष्ठ 206.
11. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए पंजाब राजपत्र (असाधारण), 1963, पृष्ठ 1000.
12. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए पंजाब राजपत्र (असाधारण), 1964, पृष्ठ 935–37.
13. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए पंजाब राजपत्र (असाधारण), 1965, पृष्ठ 552.
14. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए पंजाब राजपत्र (असाधारण), 1967, पृष्ठ 309.
15. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए, हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 29 अक्तूबर, 1968.
16. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक , पृष्ठ
17. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 7 जनवरी, 1976, पृष्ठ 56.
18. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 23 मार्च, 1982, पृष्ठ 368.
19. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 5 मार्च, 1987, पृष्ठ 383.
20. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 8 मार्च, 1990, पृष्ठ 336.
21. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 16 नवम्बर, 1996, पृष्ठ 2388.
22. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 28 मार्च, 1997, पृष्ठ 504.
23. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 20 जुलाई, 1997, पृष्ठ 1578.
24. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 19 जनवरी, 1998, पृष्ठ 87(4):
25. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 7 जुलाई, 1998, पृष्ठ 1142.
26. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए. देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 28 मार्च, 1999. पृष्ठ 86.
27. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 13 मार्च, 2001. पृष्ठ 480.
28. 2002 के हरियाणा अधिनियम 19 द्वारा प्रतिस्थापित।
29. 2003 के हरियाणा अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
30. 2007 के हरियाणा अधिनियम 15 द्वारा प्रतिस्थापित।
31. 2011 के हरियाणा अधिनियम 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
32. 2019 के हरियाणा अधिनियम 19 द्वारा प्रतिस्थापित।
33. 2020 के हरियाणा अधिनियम 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
34. 2021 के हरियाणा अधिनियम 15 द्वारा प्रतिस्थापित।
35. 2022 के हरियाणा अधिनियम 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

	चूंकि [1][हरियाणा] में मादक शराब के तथा मादक औषधियों के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, ("क्रय, बिक्री, कब्जा तथा उपभोग") से संबन्धित विधि को समेकित और संशोधित करना उचित है; इसलिए इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :––
	अध्याय I प्रारम्भिक और परिभाषाएं
संक्षिप्त नाम। विस्तार। प्रारम्भ।	1. (1) यह अधिनियम [8][हरियाणा] आबकारी अधिनियम, 1914, कहा जा सकता है। (2) इसका विस्तार सारे [1][हरियाणा] राज्य में है। (3) यह [3][मूल्य राज्य–क्षेत्रों में] ऐसी तिथि को,[4] जो [5][राज्य] सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे [6][और अन्तरित राज्य–क्षेत्रों में 15 मई, 1958], को लागू होगा।
अधिनियमितियों का निरसन।	2. अनुसूची (1) में वर्णित अधिनियमितियां उसके चौथे स्तम्भ में बताई गई सीमा तक निरसित की जाती है।
परिभाषाएं बियर। बोतल में भरना। कलक्टर। आयुक्त। विकृत।	3. इस अधिनियम में, और इसके अधीन बनाए गए नियमों में, जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो,–– (1) "बियर" के अन्तर्गत है, यवसुरा (एल), अल्पिरा (पोर्टर), यविरा (स्टाउट) और यावरस (माल्ट) से बनाई गई सभी अन्य किण्वित शराबें ; (2) "बोतल में भरना" से अभिप्राय है, किसी पीपे या अन्य पात्र से किसी बोतल, मर्तबान, फलास्क या इसी प्रकार के आधान में शराब का डालना, चाहे कोई विनिर्माण प्रक्रिया काम में लाई जाए या नहीं, तथा बोतल में भरने के अन्तर्गत पुनः बोतल में भरना भी है; (3) "कलक्टर" के अन्तर्गत है, किसी जिले का कोई स्वतन्त्र कार्यभारी राजस्व अधिकारी, और इस अधिनियम के अधीन किसी बताए गए स्थानीय क्षेत्र भर में, कलक्टर के कृत्यों को निभाने के लिए [5][राज्य] सरकार द्वारा नियुक्त कोई पदधारी; (4) "आयुक्त" से अभिप्राय है, किसी मंडल के राजस्व प्रशासन का मुख्य कार्यभारी अधिकारी ; (5) "विकृत" से अभिप्राय है, मानवीय उपभोग के लिए प्रभावकारी रूप से और स्थायी रूप से अयोग्य बना दी गई; [(5क) "उप–आबकारी तथा कराधान आयुक्त" से अभिप्राय है, जिले के आबकारी प्रशासन का कोई भारसाधक अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी; ।]

1. हरियाणा विधि अनुकूलन (राज्य तथा समवर्ती विषय) आदेश, 1968 द्वारा "पंजाब" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1996 ने हरियाणा अधिनियम 22 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. हरियाणा विधि अनुकूलन (राज्य तथा समवर्ती विषय) आदेश, 1968 द्वारा "से प्रकृत" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. प्रथम फरवरी, 1915, देखिए पंजाब राजपत्र, 1914, भाग I, पृष्ठ 60.
5. विधि अनुकूलन दिवस, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. हरियाणा विधि अनुकूलन (राज्य तथा समवर्ती विषय) आदेश, 1968 द्वारा जोड़े गए।
7. 1948 के पंजाब अधिनियम 9, धारा 2 द्वारा "दि" शब्द कोप किया गया तथा (1) अंक रखा गया।
8 . 2021 के हरियाणा अधिनियम 15 दारा प्रतिस्थापित (w.e.f. 1–11–1966).

आबकारी शुल्क योग्य वस्तु।	[1][(6) "आबकारी शुल्क–योग्य वस्तु" से अभिप्राय है–– (क) मानवीय उपभोग के लिए कोई ऐल्कोहालीय (मद्यसारीय) शराब ; अथवा (ख) कोई मादक औषधि ;] [(6–क) "आबकारी बोतल" से अभिप्राय है, कोई ऐसी प्रकार या वर्णन की बोतल जिसमें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा किसी भी समय शराब या बियर भरी जाने दी जा सकती है या भरी जाने दी गई हो।] [(6–ख) "आबकारी शुल्क" और "प्रतिकारी शुल्क" से अभिप्राय है, कोई ऐसा आबकारी शुल्क या प्रतिकारी शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, जो [4][संविधान] की सातवीं अनुसूची की सूची प्प की [5][प्रविष्टि 51] में वर्णित है;]
आबकारी आयुक्त।	(7) "आबकारी आयुक्त" से अभिप्राय है, [4][राज्य] सरकार द्वारा धारा 9 के अधीन नियुक्त अधिकारी ;
आबकारी अधिकारी।	(8) "आबकारी अधिकारी" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया या शक्तियों से विनिहित कोई अधिकारी अथवा व्यक्ति;
आबकारी राजस्व।	(9) "आबकारी राजस्व" से अभिप्राय है, इस अधिनियम, या शराब अथवा मादक औषधियों के बारे में उस समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन लगाए गए या आदिष्ट किसी भुगतान शुल्क, फीस, कर, जब्ती या जुर्माने से प्राप्त या प्राप्त राजस्व, किन्तु इसमें किसी न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना शामिल नहीं है ;
निर्यात।	[7](10) "निर्यात" से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथापरिभाषित सीमा–शुल्क सीमाओं को पार करने से अन्यथा [8][हरियाणा] से बाहर ले जाना;
वित्तायुक्त।	(11) जब एक से अधिक वित्तायुक्त हों तो "वित्तायुक्त" का अर्थ होगा एक या अधिक वित्तायुक्त;
आयात।	[9](12) "आयात" ("भारत में आयात" वाक्यांश में आये शब्दों को छोड़कर) से अभिप्राय केन्द्रीय सरकार द्वारा यथापरिभाषित सीमा–शुल्क–सीमाओं को पार करने से अन्यथा [8][हरियाणा] में लाया जाना;
	[10](12क) "मादक द्रव्य" से अभिप्राय है, कोई शराब, लाहन या मादक औषधि ;
मादक औषधि।	[11](13) "मादक औषधि" से अभिप्राय है –– (i) भारतीय भांग पौधे (कनाबिस साटिवा–एल) के पत्ते, छोटे डंठल, और फूलती अथवा फलती फुनगि जिसमें भांग, सिद्धि अथवा गांजे के रूप में ज्ञात सभी किस्में शामिल हैं। (ii) चरस, अर्थात् भारतीय भांग पौधे से प्राप्त राल (रेजिन) जिसमें पैकिंग संवेष्ठन) और परिवहन के लिए आवश्यक फेरबदल से भिन्न कोई फेरबदल नहीं किया गया है;

1. विधि अनुकूलन (तृतीय संशोधन) आदेश, 1951 द्वारा प्रतिस्थापित। मूल खण्ड, 1937 के ए.ओ. द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
2. 1940 के पंजाब अधिनियम 1, धारा 2 द्वारा जोड़ी गई।
3. उसी द्वारा 6 (ख) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया गया।
4. विधि अनुकूलन (तृतीय संशोधन) आदेश, 1951 द्वारा "भारत शासन अधिनियम, 1935" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. विधि अनुकूलन (तृतीय संशोधन) आदेश, 1951 द्वारा "मद 40" शब्द तथा अंक के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा पुराने खण्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. हरियाणा विधि अनुकूलन (राज्य तथा समवर्ती विषय) आदेश, 1968 द्वारा पंजाब शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा आबकारी शुल्क योग्य वस्तु शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
10. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा रखा गया भंग 2003 के 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
11. 1930 के भारत अधिनियम 2, अनुसूची II, द्वारा पुराने खण्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित।

	(iii) उदासीन सामग्री सहित या उसके बिना, मादक औषधि के उपर्युक्त रूपों का कोई मिश्रण, या उससे तैयार किया गया कोई पेय; और (iv) कोई अन्य मादक द्रव्य या स्वापक–पदार्थ जिसे ' (राज्य) सरकार अधिसूचना द्वारा कोई मादक औषधि घोषित करे, किन्तु ऐसा पदार्थ अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930, की धारा 2 में यथा परिभाषित अफीम, अफीम, को कोकापत्ती अथ्रवा कोई विनिर्मित औषधि न हो;
	[10][(13क) "लाहन" से अभिप्राय है, किसी भी प्रकार के गुड़ या शीरा या दोनों से बना हुआ कोई घोल जिसमें खमीर उन्नत करने के लिए कोई खमीर द्रव्य डाला गया है, या जिसमें खमीर उठाने की प्रक्रिया की गई है तथ जिससे आसवन द्वारा स्पिरिट प्राप्त की जा सकती है]
शराब।	(14) "शराब" से अभिप्राय है/मादक शराब, और इसमें ऐल्कोहल या ऐल्कोहल वाले सभी द्रव पदार्थ शामिल हैं; इसमें कोई ऐसा पदार्थ भी सम्मिलित है जिसे [1][राज्य] सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शराब घोषित करे;
मजिस्ट्रेट।	[2](15) * * * *
	[11][(15क) "बड़े तथा छोटे अपराध" (क) बड़े अपराधों से अभिप्राय है, – (i) अपमिश्रण : (ii) गैर–भुगतान शुल्क मदिरा का कब्जा, परिवहन तथा विक्रय (एन.डी.पी.एल.); (iii) मदिरा का अवैध विनिर्माण, विधिविरूद्ध कब्जा, परिवहन, अभिवहन तथा विक्रय; (iv) मानव उपभोग के लिए विकृतीकृत स्पिरिट युक्त प्रतिपादन ; (v) मदिरा में हानिकर पदार्थ मिलाना; (vi) सिल्ड बोतल के साथ छेड़छाड़ करना; (vii) अवयस्क को विक्रय करना; (ख) इस अधिनियम के अधीन उपरोक्त खण्ड (क) में वर्णित अपराधों से भिन्न सभी अपराध, छोटे अपराध होंगे;' ।]
विनिर्माण।	(16) "विनिर्माण" में ऐसी प्रत्येक प्रक्रिया शामिल है चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, जिसके द्वारा किसी [8][मादक–द्रव्य] का उत्पादन या निर्माण किया जाता है और इसमें शराब का पुनः आसवन और परिशोधन, अपचयन, त्रासन, सम्मिश्रण या रंग देने की प्रत्येक प्रक्रिया भी सम्मिलित है;
स्थान।	(17) "स्थान" में, कोई निर्माण, दुकान, तम्बू, अहाता, कक्ष (बूथ), यान, जलयान, नौका और बेड़ा म्मलित है; [4]["(17क) "क्रय" पद में दान सहित किसी रीति में प्राप्ति सम्मिलित है;"]
बिक्री।	[5]["(18) "बिक्री" पद में, दान सहित किसी भी रीति में अन्तरण सम्मिलित है;"]
स्पिरिट।	(19) "स्पिरिट" से अभिप्राय है, आसवन से प्राप्त ऐल्कोहल वाली कोई शराब, चाहे वह विकृत हो या नहीं;
ताड़ी।	(20) "ताड़ी" से अभिप्राय है, किसी भी प्रकार के ताड़ के वृक्ष से निकाला गया किण्वित अथवा अकिण्वित रस ;
	[(21) "परिवहन" रो अभिप्राय है, हरियाणा राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना तथा इसमें शामिल है हरियाणा राज्य मे से अभिवहन ।'।
"देशी शराब" और "विदेशी शराब।"	4. [1][राज्य] सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह 'घोषित कर सकती है कि इस अधिनियम या इसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए किसे "देशी शराब" और किसे "विदेशी शराब" समझा जाएगा।
परचून और थोक बिक्री द्वारा बिक्री की परिसीमा घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति।	5. [1][राज्य] सरकार, सारे [6][हरियाणा] या उसमें शामिल किसी स्थानीय क्षेत्र के बारे में और साधारणतया खरीदरों या किसी विशेष वर्ग के खरीदारों के सम्बन्ध में, और साधारणतया अथवा किसी विशेष अवसर के लिए किसी ' [8][मादक–द्रव्य] की अधिक से अधिक या कम से कम मात्रा को, या दोनों को, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए परचून तथा थोक बिक्री द्वारा बेची जा सकती है, अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है।

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1964 के पंजाब अधिनियम 25 द्वारा खण्ड 15 का लोप किया गया।
3. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1996 के हरियाणा अधिनियम 22 द्वारा रखी गयी।
5. उसी द्वारा प्रतिस्थापित।
6. हरियाणा विधि अनुकूलन (राज्य तथा समवर्ती विषय) आदेश, 1968 द्वारा "पंजाब" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. अधिसूचना के लिए देखिए पंजाब राजपत्र, 1915, भाग 1, पृष्ठ 219।
8. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा आबकारी शुल्क योग्य वस्तु शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. 2002 के हरियाणा अधिनियम 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
10. 2003 के हरियाणा अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
11. 2020 के हरियाणा अधिनियम 04 द्वारा प्रतिस्थापित।

इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं, अनुज्ञा–पत्रों आदि के लागू होने को परिसीमा करने की शक्ति।	6. जहां इस अधिनियम के अधीन, कोई अधिसूचना जारी की जाए, कोई शक्ति प्रदान की जाए, कोई नियुक्त की जाए या कोई अनुज्ञप्ति, पास अथवा अनुज्ञा–पत्र दिया जाए वहां यह निर्दिष्ट करना विधिपूर्ण होगा कि : (क) यह सम्पूर्ण [1][हरियाणा] या किसी विशेष रूप से बताए गए स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों को लागू होगा ; (ख) यह सभी या विशेष रूप से बताए गए किसी [2][मादक–द्रव्य अथवा मादक–द्रव्यों] या उनके सभी या किन्हीं वर्गों को लागू होगा; (ग) यह सभी व्यक्तियों अथवा अधिकारियों को या उनके किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों को लागू होगा ; (घ) यह केवल किसी विशेष अवधि या अवसर के लिए लागू होगा;
अधिनियमितियों की व्यावृत्ति।	7. जैसे [3][अनुसूची–1] द्वारा उपबन्ध किया गया है, उसके सिवाय, इस अधिनियम की कोई भी बात [4][सागर सीमा–शुल्क अधिनियम, 1878], [छावनी अधिनियम, 1910][5], अथवा [6][भारतीय टैरीफ अधिनियम, 1894], के या उनके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आदेश के उपबन्धों को प्रभावित नहीं करेगी।
	अध्याय II **स्थापना और नियन्त्रण**
आबकारी प्रशासन और आबकारी अधिकारियों का अधीक्षण और नियंत्रण।	8. (क) [7][राज्य] सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और जब तक [7][राज्य] सरकार अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदिष्ट न करे, आबकारी से सम्बन्धित सभी मामलों का सामान्य अधिक्षण तथा प्रशासन वित्तायुक्त में निहित होगा। (ख) वित्तायुक्त के सामान्य अधीक्षण तथा नियंत्रण के अधीन रहते हुए और जब तक [7][राज्य] सरकार अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदिष्ट न करें, आयुक्त अपने मण्डल के सभी अन्य आबकारी अधिकारियों पर नियन्त्रण रखेगा। (ग) उपर्युक्त के अधीन और नियन्त्रण के अधीन रहते हुये और जब तक [7][राज्य] सरकार अधिसूचना द्वारा निदिष्ट न करें, कलक्टर अपने जिले के सभी आबकारी अधिकारियों पर नियंत्रण रखेगा।
आबकारी आयुक्त।	9. [7][राज्य] सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक आबकारी आयुक्त नियुक्त कर सकती है, और ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो वह उचित समझे इस अधिनियम द्वारा वित्तायुक्त को प्रदान की गई सभी या कोई शक्तियां उसमें विनिहित कर सकती है।
आबकारी अधिकारियों के अन्य वर्ग।	10. (क) आबकारी अधिकारियों के ऐसे अन्य वर्ग होंगे, जिन्हें [7][राज्य] सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करें, और [7][राज्य] सरकार उतने व्यक्तियों को उन वर्गों के आबकारी अधिकारी नियुक्त कर सकती है जितने यह उचित समझे। (ख) [7][राज्य] सरकार, अधिसूचना द्वारा, घोषित करेगी कि प्रत्येक वर्ग के आबकारी अधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के अधीन कौन सी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

1. हरियाणा विधि अनुकूलन (राज्य तथा समवर्ती विषय) आदेश, 1968 द्वारा "पंजाब" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु या वस्तुएं" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 9, धारा 9 द्वारा अनुसूची ५ के रूप में सांख्यांकित अनुउशऊछई खए अनुसार "अनुसूची" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. अब देखिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम 52)।
5. अब देखिए छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2)।
6. अब देखिए भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1924।
7. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु या वस्तुएं" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

शक्तियां प्रदान करने का ढंग।	(ग) इस अधिनियम के अधीन शक्तियां प्रदान करने में, [1][राज्य] सरकार व्यक्तियों को नाम द्वारा या उनके पद के आधार पर, अथवा पदधारियों के वर्गों को सामान्यतः उनके पदीय नामों के अनुसार सशक्त कर सकती है।
इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों में विशिष्ट शक्तियां विनिहित करने की शक्ति ।	11. [1][राज्य] सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी व्यक्ति में, जो आबकारी अधिकारी न हों, इस अधिनियम के अधीन किसी आबकारी अधिकारी के सभी या कोई कृत्य पालन करने की शक्ति विनिहित कर सकती है और ऐसे व्यक्ति को इन कृत्यों के पालन में आबकारी अधिकारी समझा जाएगा।
अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं।	12. वित्तायुक्त और आबकारी आयुक्त अधिकारिता [2][हरियाणा] में होगी और आयुक्तों की अधिकारिता उनके मण्डलों में होगी और कलक्टरों तथा अन्य आबकारी अधिकारियों की अधिकारिता, जब तक [1][राज्य] सरकार अन्यथा निर्दिष्ट न करे, उन जिलों में होगी जिनमें वे उस समय लगाए गए हों।
प्रत्यायोजन।	13. (क) [1][राज्य] सरकार, अधिसूचना द्वारा, वित्तायुक्त अथवा आयुक्त को, इस अधिनियम की धारा 14, 21, 22, 31, 56 और 58 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या कोई शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती है। (ख) [1][राज्य] सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई या उस समय लागू किसी अधिनियम के अधीन आबकारी राजस्व के बारे में प्रयुक्त कोई शक्तियां, ऐसी अधिसूचना में विशेष रूप से बताए गए किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के किसी वर्ग को वित्तायुक्त अथवा कलक्टर द्वारा सौंपे जाने की अनुमति दे सकती है।
अपील ।	14. किसी आबकारी अधिकारी के किसी मूल या अपीलीय आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे मामलों में या मामलों के वर्गों में, और ऐसे प्राधिकारी को, हो सकेगी जिसे । [1][राज्य] सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे।
पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन ।	[15. (1) आबकारी आयुक्त, किसी भी समय, स्वयं या उसे आवेदन किए जाने पर किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के अभिलेख, जो उसके अधीनस्थ किसी आबकारी अधिकारी के सामने लम्बित हों अथवा उसके द्वार निपटाई गई हों, ऐसी कार्यवाहियों की या उनमें किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपनी तसल्ली करने के प्रयोजनों के लिए मंगत्रा सकता है और उनके सम्बन्ध में ऐसे आदेश कर सकता है जो वह ठीक समझेः परन्तु आवेदन, कार्यवाहियां करने या आदेश किए जाने की तिथि से, जैसी भी स्थिति हो, एक सौ अस्सी दिनों के भीतर किया जाएगा। (2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के अधीन आबकारी आयुक्त की शक्तियां, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसे क्षेत्रों के बारे में, जैसा अधिसूचना में बताया जाए, प्रयोग की जाने के लिए किसी आबकारी अधिकारी को भी प्रदान कर सकती है। (3) आबकारी आयुक्त या ऐसा आबकारी अधिकारी, जिसे उपधारा (2) के अधीन आबकारी आयुक्त की शक्तियां प्रदान की गई हों, अपने निजी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। (4) वित्तायुक्त किसी भी समय स्वप्रेरणा से या उसे आवेदन किए जाने पर, इससे पहले की उपधाराओं के अधीन निश्चित किसी मामले का अभिलेख मंगवा सकता है, और यदि उसकी राय में अन्तिम आदेश में किसी विधि के प्रश्न पर कोई गलत निश्चय है तो वह मामले पर ऐसा आदेश कर सकता है जो वह उचित समझे।

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. हरियाणा विधि अनुकूलन आदेश, 1968 द्वारा "पंजाब" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 1965 में पंजाब अधिनियम 8, धारा 2 प्रतिस्थापित।

	[1][(5) इस अधिनियम के अधीन वित्तायुवत द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी आदेश के सिवाय, किसी ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने पर जो यथोचित सावधानी के प्रयोग के बाद, उस समय, जब ऐसा आदेश किया गया था, उसकी जानकारी में नहीं था या उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था या किसी गलती या भूल के कारण जो अभिलेख को देखने मात्र से ही प्रकट हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वित्तायुक्त को ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिए उस आदेश की तिथि से एक सौ अस्सी दिन के भीतर, आवेदन कर सकता है।] (6) वित्तायुक्त उपधारा (5) के अधीन उसे आवेदन किए जाने पर और अन्य मामलों में किसी भी समय स्वप्रेरणा से, अपने निजी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। (7) इस अधिनियम के अधीन वित्तायुक्त द्वारा किए गएआदेश के विरुद्ध अपील ऐसे आदेश के लिए किए जाने की तिथि से एक सौ अस्सी दिन के भीतर ऐसी रीति में जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, राज्य सरकार को हो सकेगी। (8) राज्य सरकार, किसी भी समय, किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के अभिलेख, जो किसी अधिकारी के सामने लम्बित हों या उसके द्वारा निपटाई गई हों, ऐसी कार्यवाहियों की या उनमें किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपनी तसल्ली करने के प्रयोजन के लिए. मंगवा सकती है और उनके सम्बन्ध में ऐसा आदेश कर सकती है जो वह ठीक समझे। (9) इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश, जो किसी व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।]
	अध्याय III आयात, निर्यात और परिवहन
मादक द्रव्य का आयात, निर्यात और परिवहन।	16. किसी भी [2][मादक–द्रव्य] का निलिखित के सिवाय आयात, निर्यात अथवा परिवहन नहीं किया जाएगा :– (क) किसी ऐसे शुल्क के भुगतान के बाद जिसके लिए यह [इस अधिनियम के अधीन दायी हो सकता है] या ऐसे भुगतान के लिए किसी बंध–पत्र के निष्पादन के बाद ; और (ख) ऐसी शर्तों के पालन में, जो [3][राज्य] सरकार लगा सकती है।
राज्य सरकार की मादक–द्रव्यों के आयात, निर्यात और परिवहन की मनाही करने की शक्ति।	17. [3][राज्य] सरकार अधिसूचना द्वारा–– (क) किसी [2][मादक–द्रव्य] के [5][हरियाणा] अथवा उसके किसी भाग में आयात करने या हरियाणा अथवा उसके किसी भाग में निर्यात करने की मनाही कर सकती हैः अथवा (ख) [6]किसी [2][मादक–द्रव्य] के परिवहन की मनाही कर सकती है।

1. हरियाणा अधिनियम 28/73 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा (आबकारी शुल्क योग्य वस्तु) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सीमा शुल्क या आबकारी दायी हो सकता है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. हरियाणा विधि अनुकूलन (राज्य तथा समवती विषय) आदेश, 1968 द्वारा "पंजाब" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. कोकीन के आयात. निर्यात. परिवहन तथा कब्जे के प्रतिषेध की अधिसूचना के लिए देखिए पंजाव राजपत्र, 1915, भाग I, पृष्ठ 811.

आयात, निर्यात और परिवहन के लिए पासों का आवश्यक होना।	18. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा अन्यथआ उपबन्धित के सिवाय, किसी भी [1][मादक–द्रव्य] का ऐसी मात्रा से अधिक मात्रा में, जो [2][राज्य] सरकार अधिसूचना द्वारा विहित करे, ठीक अगली धारा के उपबन्धों के अधीन जारी किए गए पास के सिवाय आयात, निर्यात अथवा परिवहन नहीं किया जाएगा : परन्तु ऐसी विदेशी शराब की दशा में, जिस पर शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो ऐसे पासों से तब तक छूट दे दी जाएगी, जब तक [2][राज्य] सरकार अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करती : परन्तु यह और कि ऐसी शर्तों पर, जैसी वित्तायुक्त द्वारा निश्चित की जाएं, दूसरे [2][राज्य] में लागू आबकारी कानून के अधीन दिया गया पास इस अधिनियम के अधीन दिया गया पास समझा जायेगा।
आयात, निर्यात और परिवहन के लिए पासों का दिया जाना।	19. [1][मादक–द्रव्य] के आयात, निर्यात या परिवहन के लिए पास कलक्टर द्वारा दिए जा सकते हैं: परन्तु ऐसे [1][मादक–द्रव्य] के, जिन्हें वित्तायुक्त समय–समय पर निश्चित करे, आयात तथा निर्यात के लिए पास केवल वित्तायुक्त द्वारा ही दिए जाएंगे।
	अध्याय IV **[3][विनिर्माण, कब्जा, बिक्री, क्रय तथा उपभोग]** क––विनिर्माण
इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन के सिवाय मादक–द्रव्यों के विनिर्माण की मनाही।	20. (1) कलक्टर द्वारा इस निमित्त दी गई किसी अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के अधीन और उसके निबन्धनों और शर्तों के अधीन, के सिवाय–– (क) कोई भी [1][मादक–द्रव्य] विनिर्मित या एकत्रित नहीं किया जाएगा; (ख) किसी भी भांग के पौधे की खेती नहीं की जाएगी; (ग) ताड़ी उत्पादन करने वाली किसी भी वृक्ष को बुआया नहीं जाएगा; (घ) किसी वृक्ष से कोई ताड़ी नहीं निकाली जाएगी; और (ङ) कोई भी व्यक्ति ताड़ी से भिन्न किसी भी [1][मादक–द्रव्य] के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किसी भी सामग्री, भभके, बर्तन, उपकरण या यंत्र का, चाहे जो कुछ भी हो, उपयोग नहीं करेगा या अपने कब्जे में अथवा अपने पास नहीं रखेगा। (2) धारा 21 के अधीन वित्तायुक्त द्वारा इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के अधीन और उसके निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन के सिवाय, किसी भी आसवनी या मद्य निर्माणशाला का निर्माण नहीं किया जाएगा या उसे चलाया जाएगा। [4]["(3) राज्य सरकार की यदि सन्तुष्टि हो जाती है, कि ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, अधिसूचना द्वारा किसी मादक–द्रव्य के विनिर्माण की मनाही कर सकती है या ऐसे विनिर्माण की ऐसी शर्तें जिन्हें वह अधिसूचित करें, द्वारा निर्बन्धित कर सकती है।"]
आसवनियों और मद्यनिर्माणशालाओं की स्थापना अथवा अनुज्ञापन।	21. वित्तायुक्त, ऐसे निर्बन्धनों या शर्तों के अधीन रहते हुए जो [2][राज्य] सरकार लगाए–– (क) किसी आसवनी की स्थापना कर सकता है जिसमें धारा 20 के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन स्पिरिट का विनिर्माण किया जा सकता है;

1. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1996 के हरियाणा अधिनियम 22 द्वारा प्रतिस्थापित्त।
4 1996 के हरियाणा अधिनियम 22 द्वारा प्रतिस्थापित।

	(ख) इस प्रकार स्थापित की गई किसी आसवनी को बंद कर सकता है; (ग) किसी आसवनी या मद्यनिर्माणशाला का निर्माण और संचालन अनुज्ञप्त कर सकता है; (घ) निम्नलिखित के बारे में नियम बना सकता है– (1) आसवनियों, भभकों अथवा मद्यनिर्माणशाला के लिए अनुज्ञप्तियों का दिया जाना; (2) किसी आसवनी अथवा मद्यनिर्माणशाला के अनुज्ञप्तियों द्वारा जमा कराई जाने वाली प्रतिभूति ; (3) अवधि, जिसके लिए अनुजुप्ति दी जाएगी; (4) ऐसी आसवनी या मद्यनिर्माणशाला और उससे सम्बद्ध भाण्डागारों का तथा उसमें बनाई गई और रखी गई स्पिरिट या किण्वित शराब का निरीक्षण और परीक्षण ; (5) आसवनी या मद्यनिर्माणशाला का प्रबन्ध और संचालन ; (6) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखे जाने वाले लेखाओं के प्ररूप (फार्म) और उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां ; (7) निर्माणों तथा संयंत्र का रखरखाव ; (8) भभकों और अन्य संयंत्रों का आकार तथा वर्णन ; (9) स्पिरिट का विनिर्माण, भंडार करना और बाहर निकालना और पासों की विषय–वस्तु; [2][(10) लुप्त ;] (11) आसवनियों या मद्यनिर्माणशालाओं के संचालन सम्बन्धी कोई अन्य मामले।
भाण्डागारों की स्थापना अथवा अनुज्ञापन।	22. वित्तायुक्त, ऐसे निर्बन्धनों या शर्तों के अधीन रहते हुए जो [1][राज्य] सरकार अधिरोपित करे–– (क) किसी ऐसे भाण्डागार को स्थापित या अनुज्ञप्त कर सकता है जहां शुल्क का भुगतान किए बिना कोई [3][मादक–द्रव्य] जमा किया जा सकता है तथा रखा जा सकता है; (ख) इस प्रकार से स्थापित किसी भाण्डागार को बंद कर सकता है।
आसवनी, आदि से मादक–द्रव्य का हटाया जाना।	23. इस अधिनियम के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्त किसी आसवानी, मद्यनिर्माणशाला, भाण्डागार अथवा – भण्डागार अथवा भण्डारकरण के अन्य स्थान से कोई [3][मादक–द्रव्य] तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि [4][अध्याय V के अधीन भुगतान–योग्य] शुल्क (यदि कोई हो) का भुगतान नहीं कर दिया जाए या उसके भुगतान के लिए कोई बंद– पत्र निष्पादित न कर दिया जाए : ख––कब्जा
मादक–द्रव्यों का कब्जा।	24. (1) कोई भी व्यक्ति, –– (क) किसी [3][मादक–द्रव्य] के विनिर्माण, बिक्री अथवा प्रदाय के लिए किसी अनुज्ञप्ति के ; अथवा (ख) मादक–औषधियों की दशा में, ऐसे पौधों की खेती या संग्रहण के लिए किसी अनुज्ञप्ति के, जिनसे ऐसी औषधियों का उत्पादन किया गया; अथवा

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1976 ने हरियाणा अधिनियम 10 द्वारा लोप की गई।
3. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "धारा 31 के अधीन अधिरोपित" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

	(ग) उस निमित्त कलक्टर द्वारा दिए गए किसी अनुज्ञापत्र के; प्राधिकार के अधीन के सिवाय और निबन्धनों और शर्तों के अनुसार के सिवाय किसी मादक द्रव्य की ऐसी मात्रा से अधिक कोई मात्रा अपने कब्जे में नहीं रखेगा, जो [3][राज्य] सरकार ने धारा 5 के अधीन परचून बिक्री की सीमा घोषित की हो। (2) उपधारा (1) निम्नलिखित को लागू नहीं होगी –– (क) किसी आबकारी अधिकारी, सामान्य वाहक अथवा भांडागारपाल के कब्जे में उस रूप में कोई [1][मादक–द्रव्य;] [2][(ख) * * * *] (3) कोई अनुज्ञप्ति विक्रेता, अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत स्थान से भिन्न किसी स्थान पर कलक्टर द्वारा उस निमित्त दिए गए किसी अनुज्ञापत्र के अधीन के सिवाय, किसी [1][मादक–द्रव्य] की ऐसी मात्रा से अधिक कोई मात्रा अपने कब्जे में नहीं रखेगा जो [3][राज्य] सरकार ने धारा 5 के अधीन परचून–बिक्री की सीमा घोषित की हो।
कुछ दशाओं में मादक–द्रव्यों के कब्जे की मनाही और निर्बन्धन।	(4) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, [3][राज्य] सरकार ऐसी शर्तों के द्वारा, जैसी वह विहित करे, अधिसूचना द्वारा किसी [1][मादक–द्रव्य] के कब्जे की मनाही कर सकती है या ऐसे कब्जे को निर्बन्धित कर सकती है।
कुछ व्यक्तियों द्वारा अप्रयुक्त तथा मुद्रित लेवलों, कार्कों, आदि के कब्जे का दंडनीय होना।	[4][24क. कोई भी व्यक्ति आसवनी या मद्यनिर्माणशाला की स्थापना या संचालन के लिए अथवा शराब को बोतलों में भरने के लिए अनुज्ञप्त किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा यथाविधि अनुमोदित किसी अप्रयुक्त तथा मुद्रित लेबल, कार्क, कैप्स्यूल या मोहर को अथवा किसी ऐसे लेबल, कार्क, कैप्स्यूल, या मोहर को जो ऐसे अप्रयुक्त तथा मुद्रित लेबल, कार्क, कैप्स्यूल या मोहर की नकल हो, जैसी भी स्थिति हो, अपने कब्जे में नहीं रखेगा : परन्तु इसकी कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी –– (क) किसी आसवनी अथवा मद्यनिर्माणशाला को स्थापित या संचालित करने या बोतलों में शराब भरने के लिए अनुज्ञप्त व्यक्ति; अथवा (ख) ऐसा व्यक्ति जो, खण्ड (क) में उल्लिखित किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी आदेश के निष्पादन में ऐसे किसी लेबल, कार्क, कैप्स्यूल या मोहर को विनिर्मित या मुद्रित करता है।]
विधि–विरूद्ध रूप से विनिर्मित, आयातित आदि मादक–द्रव्यों के कब्जे की मनाही।	25. कोई व्यक्ति, किसी [1][मादक–द्रव्य] की कोई मात्रा, यह जानते हुए कि इसका आयात, परिवहन, विनिर्माण, खेती अथवा संग्रहण विधि–विरुद्ध रूप से किया गया है अथवा यह जानते हुए कि उस पर विहित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, अपने कब्जे में नहीं रखेगा।
मादक–द्रव्य के क्रय, बिक्री तथा उपभोग की मनाही।	[5][**(ग)––बिक्री क्रय अथवा उपभोग**] 26. इस निमित्त दी गई किसी अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के अधीन के तथा उसके निबन्धनों और शर्तों के अधीन के सिवाय कोई भी शराब बिक्री की लिए बोतलों में नहीं भरी जाएगी और कोई भी [1][मादक–द्रव्य] बेचा नहीं जाएगा :

1. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1949 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 12, धारा 2 द्वारा लोप की गई।
3. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1963 के पंजाब अधिनियम 31, धारा 2 द्वारा रखी गई।
5. 1996 के हरियाणा अधिनियम 22 द्वारा प्रतिस्थापित।

	परन्तु–– (1) धारा 20 के अधीन भाग के पौधों की खेती करने के लिए अनुज्ञप्त कोई व्यक्ति, पौधों के उन भागों को जिनसे कोई मादक औषधि बनाई जा सकती है, इस अधिनियम के अधीन उसमें व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्त किसी व्यक्ति को अथवा किसी ऐसे अधिकारी को, जिसे वित्तायुक्त इस निमित्त नियुक्त करे, किसी अनुज्ञप्ति के बिना बेच सकता है; (2) किसी वृक्ष से निकाली गई ताड़ी का अधिकार रखने वाला कोई व्यक्ति, उसे इस अधिनियम के अधीन ताड़ी विनिर्मित करने या बेचने के लिए अनुज्ञप्त किसी व्यक्ति को किसी अनुज्ञप्ति के बिना बेच सकता है; (3) ऐसी शर्तों पर जो वित्तायुक्त निश्चित करे, भाग (ख) राज्यों के सिवाय सम्पूर्ण भारत के अन्य भागों में उस समय लागू आबकारी विधि के अधीन बिक्री के लिए कोई अनुज्ञप्ति, इस अधिनियम के अधीन उस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति, इस अधिनियम के अधीन उस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति समझी जा सकती है; (4) इस धारा की कोई भी बात किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए विधिपूर्वक प्राप्त की गई किसी विदेशी शराब की बिक्री और उसके द्वारा या उसकी ओर से या उसके स्थान छोड़ने पर या उसके मरने के पश्चात् उसके हितबद्ध प्रतिनिधियों की ओर से बेची गई शराब को लागू नहीं होती ; [1]["(5) राज्य सरकार की, यदि संतुष्टि हो जाती है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित की मनाही कर सकती है, (क) किसी मादक द्रव्य की बिक्री या ऐसी बिक्री की ऐसी शर्तें जिन्हें वह अधिसूचित करे, के द्वारा निर्बन्धित कर सकती है। और (ख) किसी मादक द्रव्य का क्रय तथा उपभोग अथवा ऐसी शर्तों द्वारा ऐसे क्रय अथवा उपभोग को निर्बन्धित कर सकती है, जिन्हें वह अधिसूचित करे।"]
विनिर्माण के लिए पट्टा प्रदान।	27. [5][(1) राज्य सरकार, किसी व्यक्ति, जिसकी आयु [6]इक्कीस वर्ष से कम न हो, या व्यक्तियों का संगम या भागीदारी फर्म या निगमित निकाय को ऐसी शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए, जिन्हें वह ठीक समझे, किसी उल्लिखित स्थानीय क्षेत्र के भीतर आबकारी शुल्क योग्य किसी वस्तु के सम्बन्ध में निम्नलिखित का अधिकार पट्टे पर दे सकती है:–– (i) थोक विनिर्माण या प्रदाय, या दोनों; अथवा (ii) थोक या परचून बिक्री; अथवा (iii) थोक विनिर्माण या प्रदाय, या दोनों और परचून बिक्री।] (2) कलक्टर, उपधारा (1) के अधीन किसी पट्टेदार को उसके पट्टे के अनुसार अनुज्ञप्ति देगा और, जब पट्टे में कोई ऐसी शर्त न हो जो उसे अनुपट्टे पर देने के लिए मनाही करे तो ऐसे पट्टेदार के आवेदन पर कलक्टर द्वारा अनुमोदित किसी अनुपट्टेदार को, कोई अनुज्ञप्ति दे सकता है।
सैनिक छावनियों में शराब का विनिर्माण और बिक्री।	28. किसी सैनिक छावनी की सीमाओं में, और उन सीमाओं से ऐसी दूरी के भीतर जो किसी मामले में [4][केन्द्रीय सरकार] विहित करे, शराब के विनिर्माण या बिक्री के लिए कोई अनुज्ञप्ति और शराब के परचून बिक्री का कोई पट्टा, जैसा धारा 27 में वर्णित है, कमान अधिकारी की सहमति के बिना नहीं दिया जाएगा।

1. 1966 के हरियाणा अधिनियम 22 द्वारा जोड़ी गयी।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1949 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 12, धारा 3 द्वारा "कोई व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश 1937 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 2007 के हरियाणा अधिनियम 20 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. 2022 के हरियाणा अधिनियम 08 द्वारा प्रतिस्थापित।

[8][इक्कीस वर्ष] से कम आयु वाले व्यक्तियों को शराब की बिक्री करने की मनाही।	29. कोई भी अनुज्ञप्त विक्रेता या ऐसे विक्रेता के नियोजन में अथवा अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, किसी कसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी आयु प्रत्यक्ष रूप से [8][इक्कीस वर्ष] से कम हो, कोई शराब अथवा मादक औषधि, चाहे यह ऐसे व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग के लिए हो और चाहे यह ऐसे व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग के लिए हो और चाहे यह ऐसे विक्रेता के परिसर पर अथवा बाहर उपभोग के लिए हो नहीं बेचेगा अथवा नहीं देगा।
[8][इक्कीस वर्ष] से कम आयु के पुरूषों के और महिलाओं के नियोजन की मनाही।	[2][30. कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी शराब या मादक औषधि को अपने परिसर पर उपभोग हेतु बेचने के लिए अनुज्ञप्त किया गया हो, ऐसे समय के दौरान जिसमें ऐसे परिसर कारोबार के लिए खुले रखे जाएं, किसी ऐसे परिसर के किसी भाग में जहां ऐसी शराब या मादक औषधि का जनता द्वारा उपभोग किया जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी आयु [8][इक्कीस वर्ष] से कम हो अथवा किसी महिला को पारिश्रमिक पर या उसके बिना, नियोजित नहीं करेगा या नियोजित किए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।]
	अध्याय –– V शुल्क और फीसें
आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क।	31. निम्नलिखित में से [3][किसी आबकारी शुल्क–योग्य वस्तु पर, कोई आबकारी शुल्क अथवा प्रतिकारी शुल्क, जैसी भी स्थिति हो,] ऐसी दर या दरों पर, जैसी [4][राज्य] सरकार निदिष्ट करे, या तो साधारणतः अथवा किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के लिए लगाया जा सकता है –– (क) धारा 16 के उपबन्धों के अनुसार आयात, निर्यात या वहन की गई; अथवा (ख) धारा 20 के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्मित या खेती की गई; अथवा (ग) धारा 21 के अधीन स्थापित किसी आसवनी में या अनुज्ञप्त किसी आसवनी या मद्यनिर्माणशाला में विनिर्मित की गई : परन्तु –– (i) किसी ऐसी वस्तु पर, जो भारत में आयात की गई हो और आयात किए जाने पर [5][भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1894,] या [6][सागर सीमा शुल्क अधिनियम, 1878,] के अधीन (शुल्क के लिए) दायी थी, इस प्रकार कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा; (ii) 7* * * * व्याख्या :––इस धारा के अधीन आबकारी शुल्क योग्य किसी वस्तु पर शुल्क, उन स्थानों के अनुसार जहां यह उपभोग के लिए ले जाई जाए अथवा ऐसी वस्तु की विभिन्न प्रबलताओं तथा कोटियों के अनुसार विभिन्न दरों पर लगाया जा सकता है।
रीति जिसमें शुल्क उगाहा जा सकता है।	32. समय, स्थान तथा रीति का विनियमन करने वाले ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो वित्तायुक्त विहित करे, किसी आसवनी, मद्यनिर्माणशाला अथवा भाण्डागार में आयात, निर्यात, वहन, एकत्रित अथवा विनिर्मित की गई या

1. 1949 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 12, धारा 4 द्वारा "अठारह" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. उसी द्वारा धारा 5 पुरानी धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "किसी शुल्क" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. अब देखिए भारतीय टैरीफ अधिनियम, 1934, भारत कोड, वाल्यूम II
6. अब देखिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम 52)
7. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा परन्तुक (ii) लोप किया गया था।
8. 2022 के हरियाणा अधिनियम 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

	उससे जारी की गई आबकारी शुल्क–योग्य वस्तु की मात्रा पर ऐसा शुल्क आनुपालिक रूप से उगाहा जाएगा : परन्तु निम्नलिखित पर शुल्क लगाया जा सकता है :–– (क) मादक औषधियों पर भांग के पौधे की खेती पर उगाही गई प्रति एकड़ दर के अनुसार, या एकत्रित मात्रा पर प्रभारित दर के अनुसार ; (ख) इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी आसवनी में या अनुज्ञप्त किसी आसवनी अथवा मद्यनिर्माणशाला में, विनिर्मित स्पिरिट या बियर पर या तो प्रयुक्त की गई सामग्री की मात्रा पर परिगणित तुल्यांकों के ऐसे मापमान के अनुसार, या धोवन अथवा अर्क की तनुता की ऐसी मात्रा के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, जिसे [1][राज्य] सरकार विहित करे; (ग) ताड़ी पर, प्रत्येक ऐसे वृक्ष पर जिससे ताड़ी निकाली जाती है कर के अनुसार : परन्तु यह और कि जहां धारा 22 (क) के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्त किसी भाण्डागार से किसी आबकारी शुल्क–योग्य वस्तु के बिक्री के लिए जारी किए जाने पर भुगतान किया जाए तो यह निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा –– (क) यदि [1][राज्य] सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा निर्दिष्ट करे, तो शुल्क की ऐसी दर पर जो उस वस्तु की आयात की तिथि को लागू थी; अथवा (ख) [1][राज्य] सरकार द्वारा ऐसे निर्देश के अभाव में, शुल्क की ऐसी दर पर जो भाण्डागार से ऐसी वस्तु के जारी किए जाने की तिथि को लागू हो।
पट्टे प्रदान किए जाने पर भुगतान।	33. इस अध्याय के अधीन उगाहे जाने योग्य किसी शुल्क के बजाय या उसके अतिरिक्त, [1][राज्य] सरकार धारा 27 के अधीन किसी अधिकार के पट्टे के प्रतिफल के रूप में किसी राशि का भुगतान स्वीकार कर सकती है।
संविधान के प्रारम्भ पर उगाहे जा रहे शुल्कों के लिए व्यावृत्ति।	[2][33क. (1) जब तक [3][संसद] द्वारा कोई प्रतिकूल उपबन्ध नहीं किया जाता, तब तक [1][राज्य] सरकार किसी शुल्क का उगाहना जारी रख सकती है जिसे वह इस अध्याय के अधीन, जैसा वह उस समय लागू था, संविधान के प्रारम्भ से ठीक पूर्व विधिपूर्वक उगाह रही थी। (2) ऐसे शुल्क, जिनको यह धारा लागू होती है, निम्नलिखित हैं –– (क) ऐसे मादक द्रव्यों पर कोई शुल्क जो इस अधिनियम के अर्थों में आबकारी शुल्क–योग्य वस्तुएं नहीं हैं; और (ख) भारत के बाहर बनी और [3][हरियाणा] में आयात की गई किसी आबकारी शुल्क योग्य वस्तु पर कोई शुल्क, चाहे वह केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा–परिनिश्चित सीमाशुल्क सीमान्त के पार से आयातित हो या नहीं। (3) इस धारा की कोई भी बात [1][राज्य] सरकार द्वारा कोई ऐसा शुल्क उगाहना प्राधिकृत नहीं करेगी जो [1][राज्य] में विनिर्मित या उत्पादित माल और इस प्रकार से विनिर्मित या उत्पादित न किए गए वैसे ही माल के बीच पूर्ववर्ती के पक्ष में भेदभाव करे अथवा जो [1][राज्य] के बाहर विनिर्मित या उत्पादित माल की दशा में, एक परिक्षेत्र में विनिर्मित तथा उत्पादित माल और किसी दूसरे परिक्षेत्र में विनिर्मित तथा उत्पादित वैसे ही माल के बीच भेदभाव करे।

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश. 1937 द्वारा धारा. 33क रखी गई थी।
3. विधि अनुकूलन (तृतीय संशोधन) आदेश, 1957 द्वारा "भारत शासन अधिनियम, 1935" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. हरियाणा विधि अनुकूलन (राज्य तथा समवर्ती विषय) आदेश. 1968 द्वारा "पंजाब" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

	अध्याय –– VI अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा–पत्र और पास
अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों तथा पासों के लिए फीसें, निबंधन, शर्तें और प्ररूप तथा अवधि। प्रतिभूति।	34. (1) इस अधिनियम के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र अथवा पास–– (क) ऐसी फीसों के, यदि कोई हो, भुगतान पर, (ख) ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों पर, (ग) ऐसे प्ररूप में और ऐशी विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए, (घ) ऐसी अवधि के लिए, दिया जाएगा, जैसे वित्तायुक्त निर्दिष्ट करे। (2) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति देने वाला कोई प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह अपनी अनुज्ञप्ति के निबन्धनों के पालन के लिए ऐसी प्रतिभूति दे अथवा प्रतिभूति के बदले ऐसी राशि जमा कराए द्य जिसे ऐसा प्राधिकारी ठीक समझे। [1]["(3) जब भी ऐसी प्राधिकारी, जो इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास देता है, विचार करता है कि ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास किसी हेतुक के लिए संशोधित किया जाना चाहिए तो वह ऐसा करने के अपने आशय का धारकों को नोटिस देने के बाद, ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास को संशोधित कर सकता है।"]
बिक्री के लिए अनुज्ञप्तियों का देना। लोकमत का पता लगाना।	35. (1) इस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अधीन वित्तायुक्त द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, कलक्टर, अपने जिले में किसी भी [2][मादक द्रव्य] की बिक्री के लिए अनुज्ञप्तियां दे सकता है। (2) किसी ऐसे परिसर पर उपभोग के लिए शराब की परचून बिक्री के लिए, जिसे पिछले वर्ष में कोई अनुज्ञप्ति न दी गई हो, किसी वर्ष में कोई अनुज्ञप्ति देने से पूर्व, कलक्टर, [3][राज्य] सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार ऐसे उपाय करेगा जिससे कि वह परिसर को अनुज्ञप्ति देने के सम्बन्ध में सर्वोत्तम ढंग से स्थानीय लोकमत का पता लगा सके। (3) [3][हरियाणा] के एक से अधिक जिलों में बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति केवल वित्तायुक्त द्वारा दी जाएगी।
अनुज्ञप्तियों आदि को रद्द अथवा निलम्बित करने की शक्ति।	36. ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो [3][राज्य] सरकार विहित करे, इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र या पास देने वाला प्राधिकारी, इसे रद्द या निलम्बित कर सकता है–– (क) यदि वह उसके धारक द्वारा उक्त प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना अन्तरित किया या अनुपट्टे पर दिया जाए; अथवा (ख) यदि उसके धारक द्वारा भुगतान योग्य किसी शुल्क या फीस का भुगतान विधिवत नहीं किया जाए; अथवा (ग) ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के धारक द्वारा अथवा उसके सेवकों द्वारा या उसकी अभिव्यक्त अथवा विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा– पत्र या पास के किन्हीं निबन्धनों या शर्तों के किसी भंग की दशा में, अथवा

1. 1996 के हरियाणा अधिनियम 22 द्वारा जोड़ी गई।
2. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. हरियाणा विधि अनुकूलन (राज्य नथा समवती विषय। आदश, 1968 द्वारा "पंजाब" शब्द क स्थान पर प्रतिस्थापित।

	(घ) यदि उसका धारक इस अधिनियम या राजस्व से सम्बन्धित उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के या किसी संज्ञेय तथा अजमानतीय अपराध के अथवा [1][अनिष्टकर मादक– द्रव्य अधिनियम, 1930,] के अधीन अथवा [1][वाणिज्या–चिन्ह अधिनियम, 1889,] के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अथवा भारत दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 (दोनों को सम्मिलित करके) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो; अथवा (ङ) यदि उसका धारक [3][सागर सीमा शुल्क अधिनियम, 1878,] की धारा 167 के खण्ड (8) में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए दंडित किया जाए; अथवा (च) जब कोई अनुज्ञप्ति अनुज्ञा–पत्र या पास किसी पट्टे के प्राप्तिकर्ता के आवेदन पर इस अधिनियम के अधीन दिया गया है, तो ऐसे प्राप्तिकर्ता की लिखित मांग पर, अथवा (छ) यदि अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा–पत्र की शतों में ऐसे रद्दकरण अथवा निलम्बन के लिए उपबन्ध किया गया हो, तो इच्छानुसार।
किसी अन्य अनुज्ञप्ति को रद्द करने की शक्ति।	37. जब किसी व्यक्ति की किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र या पास को धारा 36 के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) या –(ङ) के अधीन रद्द कर दिया जाए तो पूर्वोक्त प्राधिकारी किसी ऐसी अन्य अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र या पास को रद्द कर सकता है जो ऐसे व्यक्ति को [4][[5][राज्य] सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा] उसी जिले में इस अधिनियम के अधीन या आबकारी राजस्व से संबद्ध उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन अथवा अफीम अधिनियम, 1878, के अधीन दिया गया हो और वित्तायुक्त, किसी भी ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र या पास को रद्द कर सकता है, जो ऐसे व्यक्ति को, किसी भी ऐसे जिले में, जिसे यह अधिनियम लागू हो, दिया गया हो।
फीस वसूल करने की शक्ति।	38. धारा 36 के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) या (ङ) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने या निलम्बन की दशा में, उस शेष अवधि के लिए भुगतान योग्य फीस, जिसके लिए कोई अनुज्ञप्ति यदि वह इस प्रकार रद्द या निलम्बित न कर दी गई होती, चालू रहती, भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी से आबकारी राजस्व के रूप में वसूल की जा सकती है।
प्रदानों को प्रबन्ध के अधीन लेने और उन्हें पुनः बेचने की कलक्टर की शक्ति।	39. यदि इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति का कोई धारक, अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 27 के अधीन पट्टा दिया गया है, ऐसी अनुज्ञप्ति अथवा पट्टे द्वारा उस पर लगाई गई किसी शर्त के पालन में चूक करे, तो कलक्टर, प्रदान को उस व्यक्ति के जोखिम पर प्रबन्ध के अधीन ले सकता है जिसने ऐसी चूक की हो अथवा उसको पुनः बेच सकता है और मूल्य की किसी कमी को और ऐसे पुनः बेचने पर किए गए सभी खर्चों को इस अधिनियम की धारा 60 में बताई गई रीति में वसूल कर सकता है।
इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति आदि के रद्दकरण या निलम्बन के लिए किसी भी प्रतिकर या वापसी का दावा योग्य न होना।	40. जब कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र या पास धारा 36 के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) अथवा (ङ) के अधीन या धारा 37 के अधीन रद्द या निलम्बित किया जाए, तो धारक न तो उसके रद्दकरण या निलम्बन के बारे में किसी प्रतिकर का हकदार होगा और न ही उसके सम्बन्ध में भुगतान की गई फीस या जमा करवाई गई किसी राशि की वापसी का हकदार होगा
अनुज्ञप्तियों वापस लेने की शक्ति।	41. (1) जब कभी वह प्राधिकारी जिसने इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र या पास दिया है, यह समझे कि धारा 36 में बताए गए कारणों से भिन्न किसी कारण से ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र या पास वापस ले लिया जाना

1. 1930 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की अनुसूची II द्वारा रखा गया।
2. अब देखिए व्यापार तथा वाणिज्य–चिन्ह अधिनियम, 1958 (1958 का केन्द्रीय अधिनियम 43)
3. अब देखिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 52)
4. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा रखे गए।
5. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतोय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

	चाहिए तो वह [1][उसके सम्बन्ध में पन्द्रह दिन के लिए भुगतान योग्य फीस की राशि के बराबर राशि भेजकर] अनुज्ञप्ति को या तो –– (क) ऐसा करने के अपने आशय के पन्द्रह दिन के लिखित नोटिस की समाप्ति पर; अथवा (ख) किसी नोटिस के बिना तुरन्त, वापस ले सकता है।
वापस लेने की दशा में प्रतिकर।	(2) यदि उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र अथवा पास वापस लिया जाए तो अनुज्ञप्तिधारी को [1][यथा पूर्वोक्त भेजी गई राशि के अतिरिक्त], प्रतिकर के रूप में ऐसी [1][अतिरिक्त] राशि (यदि कोई हो) भुगतान की जाएगी, जैसी वित्तायुक्त निर्दिष्ट करे।
फीस अथवा जमा राशि का वापस किया जाना।	(3) जब इस धारा के अधीन कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र अथवा पास वापस लिया जाए, तो उसके सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पेशगी दी गई फीस अथवा जमा की गई राशि, [2][राज्य] सरकार को देय राशि की, यदि कोई हो, कटौती करने के बाद, वापस कर दी जाएगी।
	[2]["41क. भण्डार का अभ्यर्पण तथा निपटान–– (1) जब कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र अथवा पास धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन वापस ले लिया जाता है अथवा धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन संशोधत कर दिया जाता है इस निमित्त जारी किए गए नोटिस में यथापेक्षित, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास धारक भण्डार को, उनके पास बिना बेचे हुए शेष भण्डार की अनुज्ञप्ति वापस लेने अथवा संशोधन की तिथि को उप–आबकारी तथा कराधान आयुक्त अथवा सम्बद्ध जिले के आबकारी तथा कराधान अधिकारी (आबकारी) को अभ्यर्पित कर देंगे तथा इस प्रकार अभ्यर्पित भण्डार पर सरकार द्वारा वसूल किया गया कोई आबकारी शुल्क वापसी योग्य होगा। (2) इस तथ्य के होते हुए भी कि अवधि, जिसके दौरान कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास लागू है, समाप्त नहीं हुई है, कलक्टर उसके धारक की मादक द्रव्य के अपने भण्डार का निपटान करने या ऐसी तिथि, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, से पूर्व उसे विधिमान्य अनुज्ञापत्र के विरुद्ध निर्यात करने का निदेश दे सकता है। (3) कलक्टर किसी मादक द्रव्य के उस स्वामी को, जो ऐसे भण्डार के लिए कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र अथवा पास धारण नहीं करता, को भी निर्देश दे सकता है, जो उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त तथा सम्बद्ध जिले के आबकारी तथा कराधान अधिकारी (आबकारी) को ऐसी तिथि से पूर्व जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे भण्डार को अभ्यार्पित नहीं करता और स्वामी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।"]
अनुज्ञप्ति आदि में तकनीकी अनियमितताएं।	42. (1) इस अधिनियम के अधीन दी गई कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र या पास केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि अनुज्ञप्ति में अथवा उसके प्रदान से पहले की गई किसी कार्यवाही में कोई तकनीकी त्रुटि, अनियमितता या लोप है। (2) इस सम्बन्ध में वित्तायुक्त का निश्चय अन्तिम होगा कि कौन–सी बात तकनीकी त्रुटि, अनियमितता अथवा लोप है।
किसी अनुज्ञप्ति आदि को नवीकृत करने से इन्कार करने के परिणामस्वरूप किसी दावे का न हो सकना।	43. कोई भी व्यक्ति, जिसे कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र अथवा पास दिया गया हो, उसके नवीकरण के लिए दावा करने का ड़कदार नहीं होगा और किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र अथवा पास को, उस अवधि की समाप्ति पर जिसके लिए यह लागू हता है, नवीकृत करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप हुए हर्जाने अथवा किसी अन्य बात के लिए कोई भी दावा नहीं हो सकेगा।

1. 1996 के हरियाणा अधिनियम 22 द्वारा लोप किए गए तथा आगे 1998 के हरियाणा अधिनियम 20 द्वारा रखे गए।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 996 के हरियाणा अधिनियम 22 द्वारा रखी गई।

अनुज्ञप्ति का लौटाया जाना।	44. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी [1][मादक द्रव्य] को बेचने के लिए दी गई किसी अनुज्ञपिके कोई भी धारक अपनी अनुज्ञप्ति को, उसे लौटाने के अपने आशय के कलक्टर को अपने द्वारा दिए गए एक मपके लिखित नोटिस की समाप्ति पर और उस सम्पूर्ण अवधि के लिए, जिसके लिए यदि अनुज्ञप्ति लौटाई न गई होती त चालू रही होती, अनुज्ञप्ति के लिए भुगतान योग्य फीस के भुगतान के सिवाय, नहीं लौटाएगा : परन्तु यदि कलक्टर की सन्तुष्टि हो जाती है कि अनुज्ञप्ति लौटाने के लिए पर्याप्त कारण है तो वह सके धारक को, अनुज्ञप्ति लौटाने पर, इस प्रकार भुगतान योग्य राशि या उसके किसी भाग की छूट दे सकत है। (2) धारा 27(2) के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति की दशा में उपधारा (1) लागू नहीं होगी। व्याख्या –– इस धारा में यथाप्रयुक्त "किसी अनुज्ञप्ति का धारक" शब्दों के अन्तर्गत वह व्यक्त है जिसकी किसी अनुज्ञप्ति के लिए निविदा अथवा बोली स्वीकार कर ली गई हो, भले ही उसने अनुज्ञप्ति वस्तुतः प्राप्त न कोगे।
	अध्याय VII **अधिकारियों आदि की शक्तियां और उनके कर्त्तव्य**
विनिर्माण और बेचने के स्थानों में प्रवेश करने और उनका निरीक्षण करने की शक्ति।	45. कोई भी आबकारी अधिकारी, जो ऐसी पदवी से नीचे का न हो जिसे [2][राज्य] सरकार विहित करे–– (क) किसी भी समय दिन में अथवा रात्रि में किसी भी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है नौर उसका निरीक्षण कर सकता है, जहां कोई अनुज्ञप्त विनिर्माता मादक द्रव्य विनिर्माण करता है यानंडार में खता है; (ख) किसी भी स्थान में, जहां इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाल कोई व्यक्ति [1][मादक द्रव्य] बेचने के लिए अनुज्ञात समय में किसी भी समय और ऐसे अन्य समयजब वह खुला हो, प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है; (ग) लेखों तथा पंजियों की परीक्षा कर सकता है और उस स्थान में पाई गई किन सामग्रियों, भभकों, बर्तनों औजारों, साधित्रों या [1][मादक द्रव्य] का परीक्षण, माप या तोल कर सकर है; (घ) किन्हीं ऐसे लेखों, पंजियों, मापों, बाटों या परीक्षण करने के उपकरणों को आगृहीत कर सकता है जिन के बारे में उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि ये खोटे हैं।
इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का अन्वेषण करने की आबकारी अधिकारियों की शक्तियां।	46. (1) [2][राज्य] सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी ऐसे आबकारी अधिकारी में, जो उ निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, जो ऐसी सीमाओं के भीत किया गया हो जिसमें वह अधिकारी अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता हो, अन्वेषण करने की शक्ति विनिहित कर कती है। (2) इस प्रकार सशक्त प्रत्येक अधिकारी ऐसी सीमाओं में ऐसे अन्वेषण के सम्बन्ध वैसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसी किसी पुलिस थाने का भारसाधक कोई अधिकारी [3][दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, के–अध्याय xii] के उपबन्धों के अधीन किसी संज्ञेय मामले में प्रयोग कर सकता है।
गिरफ्तार, अभिग्रहण और निरूद्ध करने की शक्तियां।	47. आबकारी, पुलिस, नमक या भू–राजस्व विभाग का कोई भी अधिकारी, जोरेनी पदवी से नीचे का न हो, और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो [2][राज्य] सरकार विहित करे, और [2][राज्य] तरक द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विधिवत् सशक्त कोई अन्य व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकता है जो धारा 61 या धारा 63 के अधीन कोई अपराध करते हुए पाया जाए और किसी भी [1][मादक द्रव्य] को अथवा किसी अन्य वस्तु को, जिसके सम्बन्ध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह वस्तु इस अधिनियम अभ्वा आबकारी राजस्व से सम्बन्धित उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन जब्त की जा सकती है, अमेगृहीत और नरुद्ध कर सकता है, और किसी व्यक्ति को जिस पर, और किसी जलयान, बेड़े, यान, पशु, पैकेज, पात्र आवा आवरण को, जिनमें या जिन पर ऐसी कोई वस्तु होने का

1. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्यास्तु" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 2003 के हरियाणा अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

	संदेह करने का उसके पास युक्तियुक्त कारण हो, निरुद्ध कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है।
तलाशी या गिरफ्तारी के लिए वारण्ट करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति।	48. कोई मजिस्ट्रेट, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा 61 या धारा 63 के अधीन कोई अपराध किया गया है अथवा किया जा रहा है, या किए जाने की सम्भावना है :–– (क) किसी भी ऐसे स्थान की तलाशी के लिए वारण्ट जारी कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस स्थान में ऐसा कोई [1][मादक द्रव्य], भभका, बर्तन, औजार, साधित अथवा सामग्रियां, जिनके सम्बन्ध में ऐसा अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की सम्भावना है, रखी गई हैं अथवा छिपाई गई हैं; और (ख) किसी भी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करने में लगाया गया है या लगाया जाना है अथवा उसके लगाए जाने की सम्भावना है।
बिना वारण्ट तलाशी लेने की आबकारी अधिकारी की शक्ति। अभिग्रहण, निरोध तलाशी और गिरफ्तारी की अतिरिक्त शक्तियां।	49. (1) जब भी किसी ऐसे आबकारी अधिकारी के पास, जो ऐसी पदवी से नीचे का न हो जिसे [1][राज्य] सरकार अधिसूचना द्वारा विहित करे, यह विश्वास करने का कारण है कि किसी भी स्थान में धारा 61, धारा 62, धारा 63 अथवा धारा 64 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है, अथवा किए जाने की सम्भावना है, और तलाशी वारण्ट, अपराधी को निकल भागने का अथवा साक्ष्य को छिपाने का, कोई अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वह ऐसे स्थान में किसी भी समय, दिन में अथवा रात्रि में, प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है। (2) यथापूर्वोक्त प्रत्येक आबकारी अधिकारी ऐसे स्थान पर पाई गई किसी ऐसी वस्तु को अभिगृहीत कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह वस्तु इस अधिनियम के अधीन जब्त की जा सकती है और ऐसे स्थान में पाए गए किसी भी व्यक्ति को, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह यथापूर्वोक्त ऐसे अपराध का दोषी है, निरुद्ध कर सकता है, उसकी तलाशी ले सकता है और यदि वह उचित समझे तो गिरफ्तार कर सकता है।
सूचना प्राप्त करने की आबकारी अधिकारियों की शक्ति।	[3][49–क. (1) कोई भी आबकारी अधिकारी, जो ऐसी पदवी से नीचे का न हो, जिसे [1][राज्य] सरकार अधिसूचना द्वारा विहित करे, किसी भी व्यक्ति से आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि वह किसी भी उल्लिखित प्राधिकारी अथवा व्यक्ति को अपने पास की ऐसी सूचना दे जो किसी मादक द्रव्य के विधि–विरुद्ध आयात, परिवहन, विनिर्माण अथवा कब्जे से सम्बन्धित है या किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किसी सामग्री, भभके, बर्तन, औजार अथवा साधित्र से, चाहे जो कुछ भी हो, सम्बन्धित हैं अथवा किन्हीं ऐसे पौधों की विधि–विरुद्ध से सम्बन्धित हैं जिनसे ऐसी मादक औषधि का उत्पादन किया जा सकता है जो आदेश में बताई जाए। (2) कोई भी व्यक्ति जिस पर उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश की तामील की जाती है, युक्तियुक्त कारण के अभाव में, ठीक सूचना देने के लिए आबद्ध होगा।]
तलाशियों आदि के बारे में प्रक्रिया।	50. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, गिरफ्तारियों, अभिरक्षा में निरुद्ध रखने, तलाशियों, समनों, गिरफ्तारी के वारण्टों, तलाशियों के वारण्टों, गिरफ्तार व्यक्तियों को उपस्थित करने और अपराधों के अन्वेषण के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध उन सभी कार्रवाइयों को लागू समझे जाएंगे जो इस अधिनियम के सम्बन्ध में की जाती हैं :–– 1973 परन्तु –– (1) इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का अन्वेषण धारा 46 के अधीन सशक्त किसी भी अधिकारी

1. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 9, धारा 3 द्वारा रखे गए।

	द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किया जा सकता है; (2) जब कभी, कलक्टर की पदवी से नीचे का कोई आबकारी अधिकारी कोई गिरफ्तारी, अभिग्रहण या तलाशी करता है, तो वह उसके बाद चौबीस घंटे के भीतर गिरफ्तारी, अभिग्रहण या तलाशी के सम्बन्ध में सभी विशिष्टयों की परी रिपोर्ट अपने आसत्र वरिष्ठ पदधारी को करेगा, और जब तक धारा 73 के अधीन जमानत स्वीकृत नहीं हो जाती तब तक वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अथवा अभिग्रहीत वस्तु को सुविधानुसार पूर्ण शीघ्रता से विचारण अथवा न्याय– निर्णयन के लिए [1][न्यायिक मजिस्ट्रेट] के पास ले जाएगा अथवा भेजेगा।
पुलिस द्वारा आबकारी अधिकारियों की सहायता करना।	51. सभी पुलिस अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे आबकारी अधिकारियों के आवेदन पर, इस अधिनियम के विधिवत् निष्पादन में आबकारी अधिकारियों की सहायता करें।
भू–धारकों तथा अन्य व्यक्तियों का सूचना देने का कर्तव्य।	52. (क) भूमि अथवा किसी निर्माण का प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी और भूमि अथवा [1][किसी निर्माण] के स्वामी या अधिभोगी का अभिकर्ता जिस पर–– (ख) प्रत्येक नम्बरदार, ग्राम–मुखिया, ग्राम लेखापाल, ग्राम चौकीदार, ग्राम सिपाही और सरकार अथवा प्रतिपाल्य अधिकरण की ओर से राजस्व या भूमि लगान को एकत्रित करने के लिए लगा प्रत्येक अधिकारी जिसके ग्राम में इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त न किए गए किसी मादक–द्रव्य का कोई विनिर्माण अथवा अवैध आयात अथवा संग्रहण होगा, या किन्हीं ऐसे पौधों की विधि–विरुद्ध खेती की जाएगी जिनसे किसी मादक औषधि का उत्पादन हो सकता है, तो वह, जैसे ही उसे तथ्यों की जानकारी होती है, उनकी सूचना युक्तियुक्त कारण के अभाव में, किसी मजिस्ट्रेट या आबकारी पुलिस अथवा भू– राजस्व विभाग के अधिकारी को देने के लिए आबद्ध होगा।
	[5][52अ. स्वामी या अधिभोगी द्वारा स्वामित्वाधीन परिसर या वाहन का उपयोग– (1) किसी परिसर का प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी तथा किसी वाहन का प्रत्येक स्वामी सम्यक् तत्परता का प्रयोग करते हुये यह सुनिश्चित करने के लिये बाध्य होगा कि ऐसा परिसर या वाहन, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने के उपयोग में नहीं लाया जाता है। (2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों की उल्लंघना में कृत्य करता है, इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी अपराध के लिये दायी होगा।]
पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का अभिगृहित वस्तुओं की सुपुर्दगी लेने का कर्तव्य।	53. मजिस्ट्रेट या कलक्टर अथवा धारा 46 (1) के अधीन मामले का अन्वेषण करने के लिए किसी सशक्त अधिकारी के आदेशों के होने तक, पुलिस थाने का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत ऐसी वस्तुओं को जो उसे दी जा सकती हैं, अपनी सुपुर्दगी में लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और किसी भी ऐसे आबकारी अधिकारी को जो ऐसी वस्तुओं के साथ पुलिस थाने में आ सकता है अथवा जो इस प्रयोजन के लिए उसने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाए वस्तुओं पर अपनी मुद्रा लगाने और उनके तथा उनमें से नमूने लेने के लिए अनुज्ञात करेगा। इस प्रकार लिए गए सभी नमूने पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मुद्रा से मोहरबन्द किए जाएंगे।
लोक शान्ति के लिए दुकाने बन्द कराने की शक्ति।	54. (1) जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप–मण्डल मजिस्ट्रेट किसी अनुज्ञप्तिधारी से लिखित नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि कोई भी दुकान जिसमें किसी [3][मादक द्रव्य] का विक्रय किया जाता है, ऐसे समय अथवा ऐसी अवधि तक बंद कर दी जाए जिसे वह लोग शान्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे। (2) यदि किसी ऐसी दुकान के समीप किसी बलवे अथवा विधिविरुद्ध जमाव की आशंका होती है, या हो जाता है तो किसी भी वर्ग का कोई भी [4][कार्यकारी मजिस्ट्रेट] ऐसी दुकान से ऐसी अवधि के लिए बन्द रखने की अपेक्षा कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे : परन्तु जहां ऐसा कोई बलवा अथवा विधि–विरुद्ध जमाव हो जाता है, वहां मजिस्टेट की अनुपस्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी अपनी दुकान बिना किसी आदेश के बन्द करेगा।

1. 1964 के पंजाब अधिनियम 25 द्वारा "मजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 9, धारा 4 द्वारा रखे गए।
3. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1964 के पंजाब अधिनियम 25 द्वारा "कोई मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 2002 के हरियाणा अधिनियम 19 द्वारा प्रतिस्थापित।

	(3) जब कोई उप–मण्डल मजिस्ट्रेट उपधारा (1) के अधीन निदेश करता है अथवा [1][कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट] उपधारा (2) के अधीन निदेश करता है तो वह अपनी कार्रवाई और उसके लिए अपने कारणों की सूचना तुरन्त कलक्टर को देगा।
माप, बाट और परीक्षण करने के उपकरण।	अध्याय VIII साधारण उपबन्ध 55. इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन किसी [2][मादक द्रव्य] का विनिर्माण करने अथवा बेचने वाला प्रत्येक व्यक्ति–– (क) ऐसे मापों, बाटों तथा उपकरणों को, जिन्हें वित्तायुक्त विहित करे, अपने पास रखने के लिए और उन्हें अच्छी दशा में रखने के लिए आबद्ध होगा; तथा (ख) कलक्टर द्वारा उस निमित्त विधिवत् सशक्त किसी भी आबकारी अधिकारी की मांग पर वह किसी भी समय अपने कब्जे के किसी भी मादक द्रव्य को ऐसे रीति में मापने, तोलने अथवा उसका परीक्षण करने के लिए आबद्ध होगा जैसे उक्त अधिकारी मांग करे।
अधिनियम के उपबन्धों से मादक–द्रव्य को छूट देने की राज्य की शक्ति।	56. [2][राज्य] सरकार अधिसूचना द्वारा, किसी [2][मादक द्रव्य] की इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से या तो पूर्णतः या भागतः ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विहित करना वह उचित समझे, छूट दे सकती है।
वादों का वर्जन।	[4]["57. (1) किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र तथा पास के वापिस लेने या संशोधन के विरुद्ध किसी नुकसानी, माफी या प्रतिकार के लिए इस आधार पर कि कोई नुकसान उसके वापस लेने या संशोधन द्वारा होता है, किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां ग्रहण अथवा जारी नहीं रखी जाएंगी। (2) इस अधिनियम या आबकारी राजस्व के संबंध में इस समय लागू किसी अन्य विधि के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आदिष्ट किसी कार्य के लिए सरकार या किसी अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध नुकसानों के लिए किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा।"]
आसवनियों द्वारा बेचे जाने वाले मादक–द्रव्यों की कीमत नियत करना।	[4][57–क. (1) राज्य सरकार, समय–समय पर अधिसूचना द्वारा, सादी, [6]["विनिर्दिष्ट प्रबलता वाली रम तथा जिन"] की कीमतें, चाहे वे थोक मात्रा में हों या बोतलों में बंद हों या दोनों प्रकार की हों, उनके विनिर्माण की लागत को ध्यान में रखने के बाद आसवनियों द्वारा उन्हें बेचने के लिए, नियत कर सकती है। (2) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत की गई कीमत के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी, सादी, [6]["विनिर्दिष्ट प्रबलता वाली रम तथा जिन"] की, चाहे वे थोक मात्रा में हों या बोतलों में बंद हों, चालू कीमतों का विवरण आसवनी निरीक्षक के कार्यालय में रखेगा। [7]["(3) कोई भी लाइसेंसधारी विनिर्दिष्ट प्रबलता की देसी स्पिरिटों, रम तथा जिन को उप–धारा (1) के अधीन नियत की गई कीमतों से भिन्न कीमतों पर नहीं बेचेगा।"]

1. 1964 के पंजाब अधिनियम 25 द्वारा "किसी मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1996 के हरियाणा अधिनियम 22 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1976 के हरियाणा अधिनियम 10 द्वारा रखी गई।
6. 1990 के हरियाणा अधिनियम 2 द्वारा रखे गए।
7. उक्त द्वारा प्रतिस्थापित।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।	58. (1) [1][राज्य] सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम अथवा आबकारी राजस्व के बरे में उस समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों को कार्यरूप देने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है। (2) विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिन, [1][राज्य] सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकती है :–– (क) आबकारी अधिकारियों के कर्तव्यों को विहित करना; (ख) धारा 13 के खण्ड (ख) के अधीन वित्तायुक्त, आयुक्त अथवा कलक्टर द्वार किन्हीं शक्तियों के प्रत्यायोजन को विनियमित करना; (ग) आबकारी अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों के प्रस्तुत करने का नमय और रीति, और कार्यवाही करने की प्रक्रिया विहित करना; (घ) किसी [2][मादक–द्रव्य] अथवा आबकारी बोतल के आयात, निर्यात, परिवहन या कब्जे के और [3][किसी प्रकार या विवरण की ऐसी बोतल के अन्तरण, मूल्य अथवा उपयोग को,] विनियमित करना; [4](घघ) मद्यनिर्माणशालाओं और आसवनियों द्वारा क्रमशः बियर तथा भारत में बनी विदेशी स्पिटि के लिए ली जाने वाली कीमतें नियत करना ;] (ङ) अवधियां और परिक्षेत्र, जिनके लिए, और व्यक्ति अथवा व्यक्ति–वर्ग, जिन्हें, किसी मादक द्रव्य को थोक या परचून द्वारा बेचने के लिए अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र तथा पास दिए जा सकते है, विनियमित करना तथा ऐसी अनुज्ञप्तियों की संख्या विनियमित करना जो किसी स्थानीय क्षेत्र में दी जा सकती हैं; (च) परिसर पर उपभोग के लिए शराब की परचून बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति देने से पूर्व आनाई जाने वाली प्रक्रिया और निश्चित किए जाने वाले मामलों को विहित करना; (छ) किसी व्यक्ति या व्यक्ति–वर्ग को किसी [2][मादक–द्रव्य] की बिक्री की मनाही करना; (ज) किसी दूर के स्थान से साक्षियों को बुलाने के लिए आबकारी अधिकारियों की शक्ति को विनियमित करना; (झ) साक्षियों को खर्चे देने और इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए आरंपित और उसके पश्चात् निर्मुक्त, निर्मोचित या दोषमुक्त किए गए व्यक्तियों की प्रतिकर दिए जाने को विनियमित करना; (ञ) किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी व्यक्ति को अथवा व्यक्ति–वर्ग को अपने काखार में सहायता के लिए किसी भी हैसियत में नियोजित करने की मनाही करना; (ट) किन्हीं अनुज्ञप्त परिसरों में या उनके समीप मतवा, जुआ खेलने और उछृंखल आचरण को रोकना और ऐसे परिसरों में दुश्चरित्र व्यक्तियों के मिलने और रहने को रोकना; [5][(ठ) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को अध्वा व्यक्ति–वर्ग को या जन–साधारण को प्रोत्साहित करने अथवा उकसाने के लिए प्रकल्पित किसी मादक द्रव्य के प्रयोग या पेश करने की प्रशंसा या अनुनय करने वाले किसी विज्ञापन या अन्य सामग्री के म्हण, प्रकाशन अथवा अन्यथा संप्रदर्शन अथवा वितरण की मनाही करना या उसके अधीन बनाए गए किसे नियम या किए गए आदेश के

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" शब्दों के सान पर प्रतिस्थापित।
3. 1940 के पंजाब अधिनियम 1, धारा 3 द्वारा रखे गए।
4. 1976 के हरियाणा अधिनियम 10 द्वारा रखा गया।
5. 1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 9, धारा 5 द्वारा खण्ड (ठ), (ड), (ढ) तथा (ण) रखे गए।

	उपबन्धों की, या उसके अधीन प्राप्त किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र या पास की शर्तों के उल्लंघन की अथवा अपवंचन की मनाही करना; (ड) [1][राज्य] से बाहर मुद्रित तथा प्रकाशित किसी ऐसे समाचार–पत्र, पुस्तक पर्च पुस्तिका अथवा अन्य प्रकाशन जिसमें [खण्ड (ठ) में वर्णित प्रकृति] का कोई विज्ञापन या सामग्री है, [1][राज्य] के भीतर परिचालन, वितरण या बेचने की मनाही करना; (ढ) किसी ऐसे समाचार–पत्र, पुस्तक, पर्चे, पुस्तिका अथवा अन्य प्रकाशन को चाहे वे कहीं भी मुद्रित तथा प्रकाशित हों, जिसमें [2][खंड (ठ) में वर्णित प्रकृति] का कोई विज्ञापन या सामग्री है, [1][राज्य] सरकार के पक्ष में जब्त करने की घोषणा करना; और (ण) मद्य–निषेध की नीति को साधारणतया कार्यरूप देना।]
नियमों का पूर्व प्रकाशन।	(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन है कि नियम पूर्व–प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएं : परन्तु ऐसे कोई नियम पूर्व प्रकाशन के बिना भी बनाए जा सकते हैं, यदि [1][राज्य] सरकार का विचार है कि वे तुरन्त लागू किए जाने चाहिएं।
वित्तायुक्त की नियम बनाने की शक्ति।	59. वित्तायुक्त, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित के लिए नियम बना सकता है–– (क) किसी [3][मादक–द्रव्य] के विनिर्माण, प्रदाय, भंडारकरण, अथवा बेचने को विनियमित करना, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं – (i) ऐसी वस्तु के विनिर्माण, प्रदाय, भंडारकरण अथवा बेचने के लिए किसी का स्वरूप, परिनिर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रबन्ध तथा नियन्त्रण और वहां बनाई/रखी जाने वाली फिटिंग, औजार, उपकरण और पंजियां; (ii) भांग के पौधे की खेती और अपने आप उगे ऐसे पौधे को एकत्र करना तथा किसी मादक औषधि को तैयार करना; (iii) किसी ताड़ी उत्पादन करने वाले वृक्ष से ताड़ी चुआना या निकालना (ख) बेचने के प्रयोजनों के लिये शराब की बोतलों में भरने को विनियमित करना; (ग) किसी [3][मादक–द्रव्य] के भाण्डागार में संचय को और किसी [3][मादक–द्रव्य] के किसी भाण्डागार से अथवा किसी आसवनी अथवा मद्यनिर्माणशाला से हटाने को विनियमित करना; (घ) किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र या पास के बारे में अथवा किसी [3][मादक–द्रव्य] के भंडारकगण के बारे में फीसों के माप मान तथा भुगतान–योग्य फीसों के नियतन की रीति को विहित करना; [4][(ङ) किसी शुल्क, फीस या शास्ति के भुगतान करने का समय, स्थान और रीति को विनयमित्त करना ;"] (च) प्राधिकारी जिसके द्वारा, निर्बन्धन जिनके अधीन और शतें जिन पर कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र अथवा पास दिया जा सकता है, विहित करना, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों के लिये उपबंध करना भी है –

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1955 के पंजाब अधिनियम 18, धारा 2 द्वारा "सौंपने या मांगने के उपयोग का या किसी मादक द्रव्य की भेंट" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 2003 के हरियाणा अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

	(i) किसी [1][मादक–द्रव्य] के साथ किसी ऐसे पदार्थ के मिलाने की मनाही करना जो हानिकर या आपत्तिजनक समझी जाये; (ii) किसी अनुज्ञप्त विनिर्माणकर्त्ता अथवा अनुज्ञप्त विक्रेता द्वारा शराब की उच्चतर प्रबलता से निम्नतर प्रबलता में परिवर्तन को विनियमित करना या उसकी मनाही करना; (iii) 2[किसी [1][मादक–द्रव्य] की ऐसी प्रबलता] को नियत करना जिस पर इसको बेचा जायेगा, दिया जायेगा या कब्जे में रखा जायेगा; [3][[4][(iii) (क) ऐसी कीमत नियत करना जिससे कम या अधिक पर कोई मादक द्रव्य अनुज्ञप्त विक्रेताओं द्वारा बेचे अथवा वितरित नहीं किए जायेंगे; (iv) किसी [1][मादक–द्रव्य] को नकद दाम के सिवाय बेचने की मनाही करना; (v) दिनों तथा घण्टों को नियत करना जिनके दौरान कोई अनुज्ञप्त परिसर खुला रखा जा सकता है अथवा खुला नहीं रखा जा सकता और ऐसे परिसर विशेष अवसरों पर बंद रखना; (vi) ऐसे परिसर के स्वरूप का विशेष विवरण जिसमें कोई [1][मादक–द्रव्य] बेचा जा सकता है और ऐसे परिसर पर लगाये जाने वाले नोटिस; (vii) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा रखे जाने वाले लेखों के और प्रस्तुत की जाने वाली विसरणियों के, प्ररूप; (viii) अनुज्ञप्तियों के अन्तरण की मनाही अथवा उसको विनियमित करना; व (छ) (i) ऐसी प्रक्रिया की घोषणा करना जिसके द्वारा स्पिरिट विकृत की जायेगी; (ii) स्पिरिट को एजेन्सी द्वारा या अपने अधिकारियों की देख–रेख के अधीन विकृत कराना ; (iii) यह निश्चित करना कि क्या ऐसी स्पिरिट विकृत कर दी गई है; (ज) किसी ऐसे [1][मादक–द्रव्य] को, जो उपयोग के लिये अनुपयुक्त समझा जाए, नष्ट करने या अन्यथा निपटाने की व्यवस्था करना; (झ) जब्त की गई वस्तुओं के निपटारे को विनियमित करना; (ञ) पट्टों, अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों तथा पासों के धारकों द्वारा उनकी शर्तों के पालन के लिये जमा की जाने वाली प्रतिभूति की राशि विहित करना।
देय राशियों की वसूली।	60. (1) पोस्टपोस्टेयान, अर्थात्–– 60. (क) समस्त आबकारी राजस्व (ख) कोई हानि जो तब हो सकती है जब किसी चूक के फलस्वरूप कलक्टर द्वारा कोई प्रदान धारा 39 के अधीन प्रबन्धाधीन ले लिया गया है अथवा उसके द्वारा पुनः बेच दिया गया है, और (ग) आबकारी राजस्व से संबंधित किसी संविदा के कारण किसी व्यक्ति द्वारा [5][सरकार] को देय सभी राशियां,

1. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1976 के हरियाणा अधिनियम 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1967 के हरियाणा अधिनियम 5 द्वारा रखी गई।
4. 1976 के हरियाणा अधिनियम 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "क्राउन" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

उस व्यक्ति से जो उनका भुगतान करने के लिए प्रथमतः दायी हो अथवा उसकी प्रतिभूति में से (यदि कोर्ड हो), उसको चल सम्पत्त की कुर्की और बेचने के द्वारा या भू–धारकों अथवा भूमि के कृषकों से या उनके प्रतिभुओं से भू– राजस्व के बकाया को वसूली के लिये किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा वसूल की जा सकती है।

(2) धारा 39 के अधीन जब कलक्टर द्वारा कोई प्रदान प्रबन्धाधीन ले लिया गया है या उसके द्वारा पुनः बेच दिया गया है, तो कलक्टर, किसी पट्टेदार या समनुदेशिती द्वारा चूककर्त्ता को देय कोई धनराशि उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत किसी रीति में वसूल कर सकता है।

(3) इस अधिनियम के अनुज्ञप्त या पट्टाधारी किसी व्यक्ति द्वारा चूक की दशा में उसकी सभी आसवनी. मद्यनिर्माणशाला, भण्डागार या दुकान–परिसर अथवा फिटिंग अथवा उपकरण तथा [1][मादक–द्रव्य] के सभी स्टाक अथवा उनके विनिमण के लिये सामग्री, जो किसी आसवनी, मद्यनिर्माणशाला, भाण्डागार अथवा दुकान–परिसर में या पर रखी थी, आबारी राजस्व के किसी दावे की तुष्टि के लिये या ऐसी चूक से [2][राज्य] सरकार को हुई हानियों के सम्बन्ध में कुकी योय होगी और ऐसी दावे की तुष्टि के लिये बेची जा सकेगी जो विक्रय–आगमों पर प्रथम भार होगी।

अध्याय IX

[4][अपराध और शक्तियां]

[7][61. 'विधिविरूद्ध आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण तथा कब्जा इत्यादि के लिए शास्ति.– (1) जो कोई भी, इस अधिनियम की किसी धारा या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, जारी की गई अधिसूचना अथवा पारित किसी आदेश अथवा इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी अनुज्ञप्ति, परमिट अथवा अनुज्ञा–पत्र की उल्लंघना में,–

(क) किसी मादक–द्रव्य का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण करता है अथवा कब्जे में रखता है; या

(ख) किसी मद्यनिर्माणशाला अथवा आसवनी का विनिर्माण करता है अथवा चलाता है; या

(ग) किसी मादक–द्रव्य के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए कोई सामग्री, भभके, बर्तन, औजार अथवा उपकरण, चाहे जो भी हो, का प्रयोग करता है, रखता है अथवा अपने कब्जे में रखता है,

तो प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए ऐसे कारावास की अवधि, जो तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है तथा ऐसे जुर्माने, जो दस लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा :

परन्तु निम्नलिखित कब्जे से संबंधित अपराध की दशा में,–

(i) किसी मादक–द्रव्य का अब भी निर्माण कार्य कर रहा है, तो ऐसा कारावास दो वर्ष से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना जो दो लाख रूपए से कम नहीं होगा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह और कारावास भोगेगा ;

(ii) लाहन, ऐसा कारावास एक वर्ष से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना एक लाख रूपए से कम नहीं होगा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह और कारावास भोगेगा ;

(iii) बारह बोतलों से अनधिक 750 मिलीलीटर की मात्रा वाली प्रत्येक बोतल, हरियाणामें अनुज्ञप्त मद्यनिर्माणशाला से भिन्न विनिर्मित देसी मदिरा, ऐसा कारावास छह मास से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना पचास हजार रूपए से कम नहीं होगा तथा उपरोक्त क्षमता की बारह बोतलों से अधिक मात्रा के लिए, ऐसा कारावास दो वर्ष से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना दो लाख रूपये से कम नहीं होगा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह और कारावास भोगेगा ;

(iv) निम्नलिखित से भिन्न विदेशी मदिरा, :–

(क) भारत में अनुज्ञप्त मद्यनिर्माणशाला या आसवनी या बॉटलिंग प्लांट मेंविनिर्मित; या

(ख) भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम 32), अथवा सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 52) के अधीन भारत में आयातित, जिस पर सीमा शुल्क उद्ग्रहणीय है,

तो ऐसा कारावास दो वर्ष से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना दो लाख रूपए से कम नहीं होगा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह और कारावास भोगेगा;

(v) भारत में मद्यनिर्माणशाला या आसवनी या बॉटलिंग प्लांट में विनिर्मित विदेशी मदिरा अथवा भारत में आयातित, जिस पर भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम 32), अथवा सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 52) के अधीन सीमा शुल्क उद्ग्रहणीय है, तो दस पेटी अर्थात् नब्बे बल्क लीटर से अधिक की मात्रा हेतु, जिन पर इस अधिनियम के अधीन भुगतानयोग्य आबकारी शुल्क अथवा कोई अन्य कर का भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसा कारावास दो वर्ष से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना दो लाख रूपए से कम नहीं होगा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह और कारावास भोगेगा;

(vi) निजी कब्जे के लिए विहित सीमा से अधिक हरियाणा में किसी अनुज्ञप्त मद्यनिर्माणशाला में विनिर्मित देसी मदिरा, ऐसा कारावास छह मास से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना पचास हजार रूपए से कम नहीं होगा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह और कारावास भोगेगा;

(vii) भारत में किसी अनुज्ञप्त मद्यनिर्माणशाला या आसवनी या बॉटलिंग प्लांट में विनिर्मित विदेशी मदिरा अथवा भारत में आयातित, जिस पर भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम 32), अथवा सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 52) के अधीन सीमा शुल्क उद्ग्रहणीय है, जिस पर निजी कब्जे के लिए विहित सीमा से अधिक के लिए इस अधिनियम के अधीन भुगतानयोग्य आबकारी शुल्क और सभी अन्य करों का भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसा कारावास छह मास से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना एक लाख रूपए से कम नहीं होगा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह और कारावास भोगेगा; तथा

(viii) भारत में किसी अनुज्ञप्त मद्यनिर्माणशाला या आसवनी या बॉटलिंग प्लांट में विनिर्मित विदेशी मदिरा अथवा भारत में आयातित, जिस पर भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम 32), अथवा सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 52) के अधीन सीमा शुल्क उद्ग्रहणीय है, तो दस पेटी अर्थात् नब्बे बल्क लीटर मात्रा से अनधिक के लिए, जिन पर इस अधिनियम के अधीन भुगतानयोग्य आबकारी शुल्क अथवा कोई अन्य कर का भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसा कारावास एक वर्ष से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना दो लाख रूपए से कम नहीं होगा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह और कारावास भोगेगा;

(2) जो कोई भी, इस अधिनियम की धारा 29 तथा 30 से भिन्न किसी धारा या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, जारी की गई अधिसूचना या किए गए किसी आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी अनुज्ञप्ति, परमिट या अनुज्ञा–पत्र के उल्लंघन में–

(क) किसी मादक–द्रव्य का विक्रय करता है; या

(ख) गांजा के पौधों की खेती करता है; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्त किसी मद्यनिर्माणशाला, आसवनी या भाण्ड़ागार से किसी मादक–द्रव्य को हटाता है; या

(घ) विक्रय के प्रयोजनों के लिए बोतलों को किसी मदिरा से भरता है; या

(ङ) ताड़ी उत्पादन करने वाले किसी वृक्ष को छेदता है या से ताड़ी निकालता है,

तो कम से कम एक वर्ष के कारावास, जो दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और ऐसा जुर्माना दो लाख रूपए से कम नहीं होगा, से दण्डनीय होगा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह और कारावास भोगेगा;

टिप्पण :– धारा 61 के अधीन जुर्माना, आबकारी शुल्क या प्रतिफल फीस की राशि, जो उद्ग्रहणीय हुई होती, यदि ऐसा मादक–द्रव्य इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार या उसके अधीन प्राप्त किसी अनुज्ञप्ति, परमिट या अनुज्ञा–पत्र के अनुसार कार्यवाही की गई है या किन्हीं उप–धाराओं में वर्णित जुर्माने की राशि, जो भी अधिक हो, के दस गुणा से कम नहीं होगी।''']

---

1. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1998 के हरियाणा अधिनियम 20 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 2001 के हरियाणा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 2020 के हरियाणा अधिनियम 04 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3][इक्कीस] वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को विधि–विरूद्ध या बेचने या उनको महिलाओं को नियोजित करने के लिये शास्ति।	62. यदि कोई अनुज्ञप्त विक्रेता अथवा उसके नियोजन में या उसकी ओर से कार्य कर रहा कोई व्यक्ति–– (क) धारा 29 के 129 के उल्लंघन में कोई शराब या मादक औषधि किसी ऐसे व्यक्ति को बेचता है या देता है जो प्रत्यक्षतः इक्कीस वर्ष से कम आयु का है; अथवा (ख) धारा 30 के उल्लंघन में उस धारा में निर्दिष्ट अपने अनुज्ञप्त परिसर के किसी भाग पर [3][इक्कीस] वर्ष की आयु से कम किसी व्यक्ति) को या महिला को नियोजित करता है या नियोजित करने की अनुज्ञा देत है; अथवा (ग) कोई [1][मादक द्रव्य] किसी ऐसे व्यक्ति को बेचता है जो शराब पिए हैं या मदोन्मत्त है; अथवा (घ) ऐसे अनुज्ञप्त विक्रेता के अनुज्ञप्त परिसर पर मत्तता, मदोन्मत्ता उच्छृंखल आचरण या जुआ खेलने की अनुज्ञा देता है; अथवा (ङ) किसी ऐसे व्यक्ति को जिनके बारे में वह यह जानता है या उसके विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति किसी अजमानतीय अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है या किसी कुख्यात वेश्या को अपने अनुज्ञप्त परिसर पर प्रायः आने देता है, चाहे वह अपराध या वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिये हो या किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त, जिसके लिये वह दायी हो सकता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा जो [2][पचास हजार रुपए] तक तक हो हो सकता है। जब किसी अनुज्ञप्त विक्रेता पर या उसके नियोजन में या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति पर ऐसे विक्रेता के अनुज्ञप्त परिसर पर मत्तता या, मदोन्मत्ता की अनुज्ञा देने का आरोप लगाया जाता है और यह साबित हो जाता है कि ऐसे परिसर पर कोई व्यक्ति मत्त या मदोन्नमत्त था तो यह साबित करना आरोपित व्यक्ति का दायित्व होगा कि अनुज्ञप्त विक्रेता ने या उसके द्वारा नियोजित अथवा उसकी ओर से कार्य कर रहे व्यक्ति ने ऐसे परिसर पर मत्तत्ता या मदोन्मत्ता को रोकने के लिये सभी युक्तियुक्त कदम उठाये थे।

1. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 2001 के हरियाणा अधिनियम 4 द्वारा रखी गई। आगे 2020 के हरियाणा अधिनियम 04 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1949 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 12, धारा 7(i) द्वारा "अठारह" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित। आगे 2020 के हरियाणा अधिनियम 08 द्वारा प्रतिस्थापित।

	[3]["63. विकृत स्पिरिट को मानव उपभोग के योग्य बनाने या बनाने का प्रयत्न के लिए शास्ति––जो कोई भी, किसी स्पिरिट को, जो विकृत हो गई है, चाहे भारत में विनिर्मित है या नहीं, मानव उपभोग के योग्य बनाता है या बनाने का प्रयत्न करता है या ऐसी किसी स्पिरिट को कब्जे में रखता है जो मानव उपभोग के योग्य बना दी गई है और जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि ऐसा कोई प्रयत्न किया गया है, कम से कम छह मास की अवधि, जो पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के कारावास से और ऐसा जुर्माना, जो पचास हजार रूपए से कम नहीं होगा। किन्तु जिसे दो लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।"]
धारा 24–क के उल्लंघन अप्रयुक्त तथा मुद्रित लेबलों, कार्कों आदि के कब्जे के लिये शास्ति।	[4][63–क धारा 24 के उल्लंघन में अप्रयुक्त तथा मुद्रित लेबलों, कॉर्कों इत्यादि के कब्जे के लिए शास्ति.– जो कोई भी धारा 24–क के उपबन्ध के उल्लंघन में, कोई अप्रयुक्त तथा मुद्रित लेबल, कॉर्क, कैपस्यूल, अथवा उनकी अनुकृति अपने कब्जे में रखता है, तो वह कम से कम छह मास के कारावास, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और कम से कम पचास हजार रूपए के जुर्माने, जो दो लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।]
अनुज्ञप्त विनिर्माता अथवा विक्रेता या उसके सेवक द्वारा कपट करने पर शास्ति।	64. यदि कोई अनुज्ञप्त विनिर्माता या अनुज्ञप्त विक्रेता अथवा उसके नियोजन में या उसकी ओर से कार्य कर रहा कोई व्यक्ति,–– (क) किसी शराब को, जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह परिशोधित स्पिरिट या देसी शराब से विनिर्मित की गई है, विदेशी शराब के रूप में बेचता है या बेचने के लिये पास रखता है अथवा अभिदर्शित करता है; अथवा (ख) पारेशोधित स्पिरिट या देसी शराब से इस प्रकार से विनिर्मित शराब वाली किसी बोतल, केस, पैकेज अथवा अन्य पात्र को, या ऐसी किसी बोतल के कार्क की चिह्नित करता है अथवा ऐसी शराब वाली किसी बोतल, केस, पैकेज या अन्य पात्र का इस आशय से व्यवहार करता है कि यह विश्वास कराया जाये इस ऐसी बोतल, केस, पैकेज या अन्य पात्र में विदेशी, शराब है; [5][तो वह ऐसी अवधि, जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के कारावास से और ऐसे जुर्माने, जो दस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।]
अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवक द्वारा किये गये कतिपय कृत्यों के लिये शास्ति।	65. कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र या पास का धारक होते हुए अथवा ऐसे धारक के नियोजन में होते हुए या उसके ओर से कार्य करते हुये–– (क) किसी आबकारी अधिकारी के अथवा किसी अन्य अधिकारी के, मांग करने पर जो ऐसी मांग करने के लिये विधिवत् सशक्त हो, ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास को प्रस्तुत करने में जानबूझकर असफल रहता है; अथवा (ख) किसी ऐसे मामले में जिसके लिये धारा 61 में उपबन्ध नहीं किया गया है, धारा 58 अथवा धारा 59 के अधीन बनाये गये किसी नियम का जानबूझकर उल्लंघन करता है; अथवा (ग) अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की शर्तों के भंग में जानबूझ कर कोई ऐसी बात करता है या करने में कोई ऐश लोप करता है, जिसके लिये इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है; [6][(घ) अनुज्ञप्त परिसरों में विच्छृंखल व्यवहार अथवा जुआ खेलने की अनुमति देता है, अथवा (ङ) विहित सीमा से कम किसी मदिरा की क्षमता में कमी करता है, ते ऐसे कारावास की अवधि, जो छह मास तक बढ़ाई जा सकती है और ऐसे जुर्माने, जो इस हजार रूपए से कम नहीं होगा तथा पचास हजार रूपए से अधिक नहीं होगा, से दण्डनीय होगा।]

1. 1996 के हरियाणा अधिनियम 22 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1963 के पंजाब अधिनियम 31, धारा 3 द्वारा रखो गई।
3. 1956 के पंजाब अधिनियम 35 द्वारा "या जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक हो सकता है या दोनों सहित" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापेत ।
4. 2001 के हरियाणा अधिनियम 4 द्वारा प्रतिस्थापित। आगे 2020 के ह.अ. 04 द्वारा प्रतिस्थापिता।
5. 2020 के हरियाणा अधिनियम 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. 2020 के हरियाणा अधिनियम 4 द्वारा जोड़ा गया।

	तो वह [2][कारावास से जो छह मास तक हो सकता है तथा जुर्माने से जो दो हजार रुपए से कम तशदस हजार रुपए से अधिक न हो"] दण्डनीय होगा।
औषध–विक्रेता की दुकान आदि उपभोग करने के लिए शास्ति।	66. (1) यदि कोई औषध–विक्रेता, भैषजिक, औषधकार अथवा औषधालय वाला किर्स [1][मादक–द्रव्य] का जिसको औषधि–प्रयोजनों के लिये सद्भावपूर्वक औषधियुक्त नहीं किया गया है किसी ऐसे व्यक्ति को अपने कारबार परिसर में उपभोग करने देता है जो उसके कारबार में नियोजित नहीं है, तो वह कारावास से जिसक' अवधि तीन मास तक हो सकती है [1][और जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है,] दण्डनीय होगा। (2) यदि कोई व्यक्ति जो यथापूर्वोक्त नियोजित नहीं है, ऐसे परिसर पर ऐसे किसी [1][मादक–द्रव्य] का उपभोग करता है तो वह जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दो सौ रुपए तक हो सकता है।
एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लेखे विनिर्माण विक्रय अथवा कब्जा।	67. (1) जब कोई [1][मादक–द्रव्य] किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लेखे विनर्मित किया गया है या बेचा गया है या कब्जे में रखा जाता है और ऐसा अन्य व्यक्ति यह जानता है या उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि ऐसा विनिर्माण या बिक्री उसकी ओर से थी अथवा ऐसा कब्जा उसकी ओर से है, त वह वस्तु इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा विनिर्मित की गई अथवा बेची गई या उसके ब्जे में समझी जायेगी। (2) उपधारा (1) की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी अन्य व्यक्ति के लेखे किसी [1][मादक–द्रव्य] का विनिर्माण करता है, उसे बेचता है अथवा उसका कब्जा रखता है, ऐसी वस्तु के विधि–विरुद्ध विनिर्माण, बेचने अथवा कब्जे के लिये इस अधिनियम के अधीन किसी दण्ड के दायित्व से मुक्ति नहीं दिलायेगी।
ऐसे अपराधों के लिए शास्ति जिनके लिये अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है।	[6][68. ऐसे अपराधों के लिए शास्ति जिनके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है – जो कोई भी इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों. या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना अथवा दिए गए किसी आदेश के उल्लंघन में किसी कार्य या साशय लोप का दोषी है, और जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है, प्रथम अपराध के लिए पच्चास हजार रुपये के जुर्माने से तथा प्रत्येक ऐसे पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माना जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।]
पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कुछ अपराधों के लिये वर्धित दण्ड।	[3][68–क. पूर्व दोषसिद्ध के बाद किन्हीं अपराधों के लिए वर्धित दण्ड––जो कोई भी इस अधिनियम के धारा 61 की उपधारा (1) तथा धारा 63 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि पर, उक्त धाराओं के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का पुनः सिद्धदोष हो जाता है तो,–– (क) किसी द्वितीय अपराध के लिए उसे प्रथम दोषसिद्धि पर दिए गए दण्ड के दुगुने से कम दण्डित नहीं किय जाएगा; (ख) किसी तृतीय अथवा पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, उसकी द्वितीर दोषसिद्धि अथवा तुन्त अंतिम दोषसिद्धि पर, उसको दिए गए दण्ड के दुगुने से कम दण्डित नहीं किया जाएगा : परन्तु वर्धित दण्ड छह वर्ष के कारावास तथा बीस हजार रुपए के जुर्माने से औक नहीं होगा।"]
	[5][68–ख पूर्व अपराधी के लिए वर्धित शास्ति. – इस अधिनियम के किसी उपबंध में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जो कोई भी इस अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (1) के खण्ड (ककक) के अधीन किसी अपराध के लिए दण्डित किए जाने पर, उसी उपबन्ध के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः निरुद्ध किया जाता है, तो किसी दूसरे तथा पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, ऐसी शास्ति जो प्रथम अपराध के लिए उस पर अधिरोपित शास्ति की राशि के दो गुणा से कम न हो, के लिए दायी होगा।"]
अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों को करने का प्रयत्न।	69. जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने व या दुष्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है, वह अपराध के लिये उपबंधित दण्ड का भागी होगा।
कतिपय अपराधों को करने से वितर रहने के लिये प्रतिभूति।	[4][69–क. (1) जब कभी कोई व्यक्ति धारा 61, 63 अथवा 69 के अधीन दण्डीय किसी अपराध के लिय 5 सिद्धदोष ठहराया जाता है और सिद्धदोष ठहराने वाले न्यायालय की यह राय है कि ऐसे व्यक्ति से इन धाराओं के अधीन दण्डीनीय अपराध करने से विरत रहने के लिये बन्ध–पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करना आवश्यक है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश करते समय तीन वर्ष तक की ऐसी अवधि के दौरान जिसे वह नियत करना उचित समझे, ऐसे अपराध करने से विरत रहने के लिये प्रतिभूओं सहित अथवा उसके बिना उसके साधनों के अनुपात में किसी राशि के लिये बन्ध–पत्र निष्पादित करने का आदेश कर सकता है।

1. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" श्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 2001 के हरियाणा अधिनियम 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1963 के पंजाब अधिनियम 22 द्वारा प्रतिस्थापित। यह 1956 के पंजाब अधिनियम 35 द्वारा रखूँगई थी तथा आगे 1991 हरियाणा अधिनियम 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 2003 के हरियाणा अधिनियम 5 द्वारा रखा गया।
5. 2011 के हरियाणा अधिनियम 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

	(2) बन्ध–पत्र अनुसूची–II में दिये गये प्ररूप में होगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, के उपबन्ध, जहां तक वे लागू है. ऐसे बन्ध–पत्र से सम्बद्ध सभी मामलों को इस प्रकार लागू होंगे. मानो यह ऐसा बन्ध–पत्र हो जो उक्त संहिता की धारा 106 के अधीन शान्ति बनाये रखने के लिये निष्पादित किये जाने के लिये आदिष्ट है। (3) यदि अपील या पुनरीक्षण पर दोष सिद्धि को रद्द कर दिया जाता है तो इस प्रकार निष्पादित बन्ध–पत्र शून्य हो (4) इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी अपील न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा भी जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किया जा सकता है।]
तंग करने वाली तलाशी आदि लेने वाले आबकारी अधिकारी के लिये शास्ति।	70. यदि कोई आबकारी अधिकारी,–– (क) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करे के आभास में किसी स्थान में तंग करने की दृष्टि और अनावश्यक रूप में प्रवेश करता है, उसकी तलाशी लेता है, अथवा प्रवेश या तलाशी करवाता है; अथवा (ख) इस अधिनियम के अधीन जब्ती के दायित्वाधीन किसी वस्तु को जब्त करने अथवा तलाशी लेने के हाने से किसी व्यक्ति की चल सम्पत्ति को तंग करने की दृष्टि से और अनावश्यक रूप से अभिगृहीत करता है; अथवा (ग) किसी व्यक्ति को, तंग करने की दृष्टि से और अनावश्यक रूप से तलाशी लेता है, उसकी गिरफ्तारी रता है या उसे निरुद्ध करता है; अथवा (घ) किसी विधिपूर्ण कारण के बिना अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करना बंद कर देता है या उनका निर्वहन ने से इन्कार कर देता है अथवा उनसे स्वयं को अलग कर लेता है, सिवाय उस दशा के जिसमें कलक्टर द्वारा लिखित 'ऐसा करना के लिये उसे अनुज्ञात किया गया हो अथवा जब तक उसने ऐसा करने के अपने आशय के बारे में लिखित 'दो मास का नोटिस अपने आसन्न वरिष्ठ अधिकारी को न दे दिया हो; तो वह कारावास के जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है, अथवा जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो है, अथवा दोनों के लिये दायी होगा।
कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए लिये अन्वेषण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट।	[3][71. कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए अन्वेषण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट. – धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन सशक्त्त किसी अधिकारी द्वारा अन्वेषण करने पर यदि यह प्रतीत हो कि अपराधी अपनी सही तथा ठीक पहचान प्रकट नहीं कर रहा है या पर्याप्त प्रतिमू/प्रतिभूति देने में असमर्थ है या शास्ति का भुगतान करने में असमर्थ है या लिखित में, किन्हीं अन्य ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे तथा जहां अभियुक्त के अभियोजन को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है, तो अन्वेषण अधिकारी धारा 61 या धारा 80, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन कलक्टर के आदेशों के लिए मामले की रिपोर्ट करेगा। यदि कलक्टर उचित समझता है कि सुसंगत मामला मजिस्ट्रेट को भेजा जाना अपेक्षित है, तो वह अन्वेषण अधिकारी को, किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसे मामले की जांच अथवा विचारण करने की अधिकारित्ता हो तथा जिसे पुलिस रिपोर्टो पर अपराधो के संज्ञान लेने के लिए सशक्त किया गया हो, रिपोर्ट भेजने के लिए निदेश कर सकता है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2), की धारा 190 के प्रयोजन के लिए पुलिस रिपोर्ट समझी जाएगी।]
	[4][72. कतिपय अपराधों का अजमानतीय होना.– इस अधिनियम के अधीन दो वर्ष और उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय सभी अपराध, अजमानतीय होंगे और अजमानतीय अपराधों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के उपबन्ध, उन अपराधों पर लागू होंगे।]
	[5][72क. मदिरा में हानिकर पदार्थ मिलाने के लिए शास्ति.– जो कोई भी, उस द्वारा विक्रय की गई या विनिर्मित या संसाधित किसी मदिरा में कोई हानिकारक ड्रग या कोई विदेशी अवयव मिलाता है या मिलाए जाने के लिए अनुज्ञात करता है, जिससे मानव को अशक्तता या घोर उपहति या मृत्यु होने की सम्भावना है,–
	(क)यदि ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय होगा और जुर्माना, जो दस लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए भी दायी होगा ; (ख)यदि ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप अशक्तता या घोर उपहति होती है, तो कारावास की ऐसी अवधि, जो छह वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना, जो पाँच लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा ; (ग)यदि ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को कोई अन्य पारिणामिक चोट पहुँचती है, तो कारावास की ऐसी अवधि, जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना, जो दो लाख पचास हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा ; (घ)यदि ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप कोई चोट नहीं पहुँचती है, तो कारावास की ऐसी अवधि, जो छह मास तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना, जो एक लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा। व्याख्या.– इस धारा के प्रयोजन के लिए, ''घोर उपहति'' शब्द का अर्थ वही होगा, जो भारतीय
	72ख. प्रतिकर के भुगतान के लिए आदेश.– (1) न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन आदेश पारित करते समय, यदि इसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि किसी स्थान पर विक्रय की गई मदिरा के उपभोग के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है अथवा को चोट पहुँची है, तो विनिर्माता या विक्रेता, चाहे वह अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है या नहीं, को प्रत्येक मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को कम से कम तीन लाख रूपए अथवा व्यक्ति, जिसको घोर उपहति हुई है, को दो लाख रूपए, अथवा किसी अन्य पारिणामिक चोट के लिए उस व्यक्ति को बीस हजार रूपए की राशि प्रतिकर के रूप में भुगतान करने के आदेश कर सकता है: परन्तु जहाँ मदिरा अनुज्ञप्त दुकान में विक्रय की जाती है, तो इस धारा के अधीन प्रतिकर का भुगतान करने का दायित्व अनुज्ञप्तिधारी पर होगा।

	(2)उप–धारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तिथि सेतीस दिन के भीतर, उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है : परन्तु जब तक किसी अभियुक्त द्वारा उप–धारा (1) के अधीन उस द्वारा भुगतान की जाने वाली आदेशित राशि न्यायालय में जमा नहीं करवा दी जाती है तब तक कोई अपील दायर नहीं की जाएगी : परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय, यदि उसकी सन्तुष्टि जाती है कि अपीलकर्ता को तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण द्वारा रोका गया था, तो यह और नब्बे दिन की अवधि के भीतर आवेदन ग्रहण कर सकता है; किन्तु उसके बाद नहीं। 72–ग. सार्वजनिक स्थान पर मदिरा के उपभोग के लिए शास्ति.– जो कोई भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश के उल्लंघन में – (क) सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का उपभोग करता है ; (ख) सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का उपभोग करता है और उपद्रव करता है ; (ग) मदिरा प्रतिष्ठान के परिसरों में असामाजिक तत्व को मदिरापान अनुमत करता है या जमावड़ा अनुज्ञात करता है, निम्नलिखित से दण्डनीय होगा,– (1) खण्ड (क) के अधीन आने वाले अपराध की दशा में, ऐसा जुर्माना जो पाँच हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है ; (2) खण्ड (ख) के अधीन आने वाले अपराध की दशा में, ऐसे कारावास की अवधि जो तीन मास तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना जो दस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है ; (3) खण्ड (ग) के अधीन आने वाले अपराध की दशा में, ऐसे कारावास की अवधि जो छह मास तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना जो पचास हजार रूपए तक हो सकता है।
	72घ. विधिविरूद्ध विज्ञापन के लिए शास्ति.– जो कोई भी, किसी मदिरा के उपभोग के प्रलोभन के लिए किसी मीडिया में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन प्रिन्ट करता है, प्रकाशित करता है अथवा देता है, तो ऐसे कारावास की अवधि, जो छह मास तक बढ़ाई जा सकती है अथवा ऐसा जुर्माना, जो दो लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा : परन्तु यह धारा उपभोक्ता की सूचना और शिक्षा के लिए विक्रय स्थल पर प्रदर्शन के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा सामान्यतः या विशेष रूप से अनुमोदित तालिका और मूल्य सूची और विज्ञापन को लागू नहीं होगी।
	72ङ. कतिपय अपराधों का प्रशमन.– (1) छोटे अपराध, इस नियम के अधीन प्रशमनयोग्य होंगे। (2) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन छोटा अपराध करने के लिए युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध है, उसे दोषसिद्ध ठहराए जाने से पूर्व, अपराध के प्रशमन के लिए कलक्टर को आवेदन कर सकता है। (3) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, कलक्टर, मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अपने विवेक से प्रशमन फीस के रूप में धनराशि के भुगतान पर अपराध के प्रशमन के लिए अथवा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जो वह उचित समझे, पर अपराध के प्रतिकर के लिए आदेश कर सकता है। (4) उस व्यक्ति द्वारा ऐसी धनराशि के भुगतान पर, ऐसे व्यक्ति, यदि हिरासत में है, को स्वतन्त्र किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी अथवा जारी नहीं रखी जाएगी : परन्तु इस धारा के अधीन कलक्टर द्वारा प्रशमन फीस या प्रतिकर के रूप नियत धनराशि, शामिल शुल्क या मादक–द्रव्य, औजार, वाहन तथा अन्य सामग्री के मूल्य, जो भी अधिक हो, से पाँच गुणा से कम और दस गुणा से अधिक नहीं होगी : परन्तु यह और कि जहाँ मादक–द्रव्य, औजार अथवा अन्य सामग्री अभिग्रहण की गई है, तो उसे निर्मुक्त नहीं किया जाएगा किन्तु ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में उसका निपटान किया जाएगा। 72च. अभिग्रहण किए जाने के लिए दायी कतिपय सामान.– जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी बड़े अपराध में शामिल मादक–द्रव्य, औजार, वाहन अथवा अन्य सामग्री अभिग्रहण की गई है, तो उसे निर्मुक्त नहीं किया जाएगा किन्तु ऐसी, रीति, जो विहित की जाए, में उसका निपटान किया जाएगा।'']

1. 2001 के हरियाणा अधिनियम 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1996 के हरियाणा अधिनियम 22 द्वारा प्रतिस्थापित तथा आगे, 1998 के हरियाणा अधिनियम 20 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 2003 के हरियाणा अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 2020 के हरियाणा अधिनियम 04 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 2020 के हरियाणा अधिनियम 04 द्वारा प्रतिस्थापित।

बिना वारण्ट के गिरफ्तारी के मामले में उपस्थिति के लिए प्रतिभूति।	73. (1) (राज्य) सरकार किसी आबकारी अधिकारी को इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकारी धारा 46 के अधीन सशक्त नहीं किया गया है, जमानत स्वीकार करने के लिए सशक्त कर सकती है। (2) जब किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति या अधिकारी द्वारा जो जमानत स्वीकार करने के लिए सशक्त नहीं है, वारण्ट से अन्यथा गिरफ्तार किया जाता है, तो वह :–– (क) जमानत स्वीकार करने के लिए सशक्त निकटतम आबकारी अधिकारी के ; अथवा (ख) किसी निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, समक्ष पेश किया जाएगा अथवा भेज दिया जाएगा। (3) जब कभी इस अधिनियम के अधीन वारण्ट से अन्यथा गिरफ्तार कोई व्यक्ति जमानत देने को तैयार है, और वह जमानत स्वीकार करने के लिए सशक्त किसी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या उसके समक्ष उपधारा (2) के अनुसार पेश किया जाता है, तो उसे जमानत पर अथवा उसको छोड़ने वाले अधिकारी के विवेक पर उसके अपने बन्ध–पत्र पर छोड़ दिया जाएगा। [8][(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2), की धारा 411 से 446 तथा 449 के उपबन्ध, यथासाध्य, ऐसे प्रत्येक मामले में लागू होंगे जिसमें इस धारा के अधीन जमानत स्वीकार की जाती है या कोई बंधपत्र लिया जाता है।]
	[4][74. निरसित।]
अपराधों का संज्ञान।	75. (1) कोई भी [4][न्यायिक मजिस्ट्रेट––] (क) अपने निजी ज्ञान अथवा संदेह पर के या किसी आबकारी अधिकारी की शिकायत अथवा रिपोर्ट पर के सिवाय धारा 61 या धारा 66 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा; अथवा (ख) कलक्टर या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी आबकारी अधिकारी की शिकायत अथवा रिपोर्ट पर के सिवाए धारा 62, धारा 63, धारा 63क,) धारा 64, धारा 65, धारा 68 अथवा धारा 70 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगाः [6]["परन्तु आबकारी अधिकारी के कृत्य निभाने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी या सिपाही, किसी अनुशत ठेके के परिसर में मदिरा के संग्रहण, कब्जे या विक्रय के सम्बन्ध में किये गये अपराधों के बारे तब तक खण्ड (क) उल्लिखित कोई शिकायत दाखिल नहीं करेगा या रिपोर्ट नहीं करेगा, जब तक कि उसे वित्तायुक्त द्वारा ऐसा करने के लिये प्राधिकृत न किया गया हो।"] (2) राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के सिवाय, कोई भी [4][न्यायिक मजिस्ट्रेट] जब तक अभियोजन उस तिथि के पश्चात्, जिसको अपराध किया जाना अभिकथित किया गया है, एक वर्ष के भीतर संस्थित नहीं किया जाता, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।
कतिपय मामलों के अपराध किए जाने के बारे में उपधारणा पाई जाती है, जब तक इसमें प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, यह उपधारणा की जाएगी कि उसका कब्जा इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में था।	76. जब कभी किसी व्यक्ति के कब्जे में–– (क) कोई भभका, बर्तन, औजार अथवा उपकरण चाहे कुछ भी हो, या उनका कोई पुर्जा या पुर्जे जो ताड़ी से भिन्न किसी [7][मादक द्रव्य] के विनिर्माण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं। (ख) कोई सामग्री, जिस पर किसी [7][मादक द्रव्य] के विनिर्माण के लिए कोई प्रक्रिया हुई है अथवा जिससे किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण किया गया है;

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. भारत कोड़ वाल्यूम II
3. 1925 के पंजाब अधिनियम 2, धारा 3 द्वारा धारा 74 निरसित।
4. 1964 के पंजाब अधिनियम 25 द्वारा "मजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापन।
5. 1976 के हरियाणा अधिनियम 10 द्वारा धारा 63, धारा 63–क प्रतिस्थापित।
6. 1987 के हरियाणा अधिनियम 8 द्वारा जोड़ा गया।
7. 8 भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. 2003 के हरियाणा अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 63 के अधीन अभियोजनाओं में, अपराध किए जाने के बारे में उपधारणा।	[1][76क. धारा 63 के अधीन अभियोजनाओं में, जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, अतिरिक्त साक्ष्य के बिना यह उपधारणा की जाएगी कि अभियुक्त ने, किसी ऐसी विकृत स्पिरिट के बारे में जिसे मानव उपभोग के योग्य बनाया गया है अथवा बनाए जाने का प्रयत्न किया गया है, उस धारा के अधीन कोई अपराध किया है।]
कर्मचारी अथवा अभिकर्ता द्वारा किए गए अपराध के लिये नियोजक का दायित्व।	77. इस अधनियम के अधीन किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, अथवा पास का धारक तथा वास्तविक अपराधी, उसके नियोजन में अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा धारा 61, धारा 62, [2][धारा 63, धारा 63क] धारा 64, अथवा धारा 65 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दंड का इस प्रकार भागी होगा मानो उसने स्वयं उसे किया था, जब तक वह यह सिद्ध नहीं करेगा कि उसने ऐसे अपराध को करने से रोकने के लिये सभी विधिवत् और युक्तियुक्त पूर्वविधानियां बरती थीं : परन्तु वास्तविक अपराधी से भिन्न कोई भी व्यक्ति, जुर्माने के भुगतान में चूक करने के सिवाय, कारावास से दंडित नहीं किया जायेगा।
उन वस्तुओं की जब्ती जिनकी बाबत अपराध किया गया है।	78. (1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है–– (क) प्रत्येक [3][मादक द्रव्य] [4][अथवा आबकारी बोतल] जिसके बारे में ऐसा अपराध किया गया है, ऐसी आबकारी बोतल की अन्तर्वस्तु सहित, यदि कोई हो ;) (ख) प्रत्येक भभका, बर्तन, औजार या उपकरण और सारी सामग्री जिसके बारे में या जिसके द्वारा ऐसा अपराध किया गया है; (ग) खण्ड (क) के अधीन जब्त होने योग्य किसी [3][मादक द्रव्य] [4][अथवा आबकारी बोतल] के साथ या उसके अतिरिक्त विधिपूर्वक आयात, वहन, विनिर्माण किया गया, कब्जे में रखा गया या बेचा गया प्रत्येक [3][मादक द्रव्य] अथवा आबकारी बोतल ; (घ) ऐसा प्रत्येक पात्र, पकेज और आवेष्ठन जिसमें यथापूर्वोक्त कोई [3][मादक द्रव्य] [4][अथवा आबकारी बोतल] आसवन–यंत्र, बर्तन, औजार या उपकरण, ऐसे पास अथवा पैकेज की अन्य अन्तर्वस्तु के साथ (यदि कोई हो) पाया जाये या पाए जाएं; और (ङ) यथापूर्वोक्त ऐसे पात्र, पैकेज, आवेष्ठन या वस्तुओं को ले जाने में प्रयुक्त प्रत्येक पशु, गाड़ी, वाहन, जलयान, बेड़ा या अन्य वाहन लोक उपक्रम वाहनों के सिवाए; जब्त किये जाने के योग्य होगा : [5]["परन्तु जब यह साबित कर दिया जाता है कि खण्ड (घ) तथा (ङ) में विनिर्दिष्ट लोक उपक्रम वाहनों के सिवाए पात्र वाहन, पशु अथवा अन्य वस्तुएं अपराधियों की सम्पति नहीं हैं, तो उनको जब्त नहीं किया जाएगा यदि उनका स्वामी यह सिद्ध कर देता है कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसा अपराध नहीं किया गया था, सम्यक् तत्परता बरती है। व्याख्या :– "लोक उपक्रम वाहनों" से अभिप्राय है– (i) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार; (ii) केन्द्रीय सरकार या एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी नगरपालिका या किसी निगग या किसी कम्पनी या केन्द्रीय सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्वाधीन/द्वारा परिवहन तथा माल सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रयोजनों के लिये चलाया गया कोई वाहन;]
	[6][(3) जब धारा 61 की उपधारा (1) के खण्ड (करुक) के अधीन कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किया जाता है तथा कलक्टर यह विनिश्विय करता है कि कोई वस्तु उपधारा (1) के अधीन जब्त किए जाने के योग्य है, तो वह जब्ती आदेश कर सकता है : परन्तु उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन जब्ती आदेश करने के बदले में कलक्टर जब्त किये जाने के योग्य वस्तु के स्वामी को ऐसी शास्ति के भुगतान करने का विकल्प दे सकता है जैसा कि कलक्टर, इस अधिनियम की धारा 61 के अधीन अधिरोपित करता है।]

1. 1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 9, धारा 8 द्वारा जोड़ी गई।
2. 1976 में हरियाणा अधिनियम 10 द्वारा धारा 63, 63–क प्रतिस्थापित।
3. सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1940 के पंजाब अधिनियम I, धारा 4 द्वारा रखे गए।
5. 2021 के हरियाणा अधिनियम 19 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपरोक्त द्वारा रखे गए।

जब्ती के लिये अतिरिक्त उपबंध।	79. जब यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किन्तु अपराधी ज्ञात नहीं है या उसका पता नहीं चल सकता और जब इस अधिनियम के अधीन जब्त किये जाने के योग्य कोई वस्तु या पशु और जिसके बारे में किसी व्यक्ति के कब्जे में न होने के कारण संतोषप्रदरूप से बताया न जा सके तो मामले की जांच और उसका निश्चय कलक्टर द्वारा किया जायेगा, जो जब्ती का आदेश कर सकता है : परन्तु ऐसा कोई भी आदेश, प्रश्नगत वस्तु या पशु के अभिग्रहण की तिथि से एक मास की समाप्ति तक अथवा उसके सम्बन्ध में किसी अधिकार का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की सुनवाई के (यदि कोई हो) और साक्ष्य के (यदि कोई हो), बिना जो वह अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करता है, नहीं किया जायेगा : परन्तु यह और कि प्रश्नगत वस्तु शीघ्र और स्वाभावित रूप से क्षयशील है अथवा कलक्टर की राय है कि प्रश्नगत वस्तु या पशु को बेचना उसके स्वामी के लिए लाभप्रद होगा, तो कलक्टर किसी भी समय उसको बेचने के लिये निदेश कर सकता है, इस धारा के उपबन्ध, यावत्राक्य, ऐसे बेचे जाने के शुद्ध आगम पर लागू होंगे।
अपराधों का प्रशमन करने के लिये आबकारी अधिकारियों की शक्ति।	80. (1) कलक्टर, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से सन्देह है कि उसने इस अधिनियम की धारा 62, धारा 65 अथवा धारा 68 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, ऐसे अपराध के लिये प्रशमन के रूप में कोई धनराशि स्वीकार कर सकता है, और कलक्टर को ऐसी धनराशि का भुगतान किये जाने पर अभियुक्त, व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जायेगा और ऐसे अपराध के बारे में उसके विरुद्ध आगे कोई भी कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी। । (2) इस अधिनियम की धारा 36 (क), (ख) अथवा (ग) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र अथवा पास का रद्धकरण या निलम्बन, उसे रद्ध करने या निलम्बन करने की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी द्वारा और उसके एकमात्र विवेक से, ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के धारक द्वारा ऐसी शास्ति के भुगतान पर, जो ऐसा प्राधिकारी नियत करे, छोड़ा जा सकता है अथवा वापस लिया जा सकता है। (3) जहां इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी [1][मादक द्रव्य] को अभिगृहीत कर लिया गया है, वहां कलक्टर, स्वविवेक से, धारा 78, उपधारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश किये जाने से पूर्व किसी भी समय उसके मूल्य का भुगतान प्राप्त होने पर, उसे निर्मुक्त कर सकता है। [2]["(4) कलक्टर या उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त, प्रशमन के रूप में किसी व्यक्ति से, जो प्रत्येक 750 मिलीलिटर की 120 बोतलों से अनधिक या समकक्ष मात्रा का आयात करता है, निर्यात करता है, परिवहन करता है अथवा कब्जे में रखता है, शराब की जब्ती का आदेश कर सकता है तथा नीचे विनिर्दिष्ट कोई प्रशमन फीस स्वीकार कर सकता है।]

1. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "आबकारी शुल्क योग्य वस्तु" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1997 के हरियाणा अधिनियम 19 द्वारा 1–7–96 से जोड़ी गई तथा आगे 1998 के हरियाणा अधिनियम 5 द्वारा लोप की गई तथा आगे 2001 के हरियाणा अधिनियम 4 द्वारा जोड़ी गई। आगे 2002 के 14 द्वारा लोप।

	[2]["81. संक्षिप्त विचारण– इस अधिनियम के अधीन अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक दण्डनीय सभी अपराधों दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, के अधीन संक्षिप्त विचारण किया जाएगा।"]
	[3]["82. व्यावृत्ति– इस अधिनियम की धारा 61, 61आ तथा धारा 80 की उपधारा (4) का लोग होते हुए भी जो पंजाब आबकारी (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का हरियाणा अधिनियम 19), द्वारा लोप की गई थी, ऐसा लोप किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में किसी अन्वेषण विधिक कार्यकहियों या उपचार को प्रभादित नहीं करेगा तथा ऐस अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियां या उपचार संस्थित किया जा सकता है. जारी रखा जा सकता है या प्रवर्तित किया जा सकता है, और ऐसी कोई शास्ति, रामपहरण या दण्ड इस प्रकार लगाया जा सकता है मानों धारा 611, 61 आ तथा धारा 80 की उपधारा (4) का लोप नहीं किया गया था।"] [4]["83. पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी की गई हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 7/आ01/पं0अ01/1914/धा059/2017, दिनांक 29 मार्च, 2017 के अधीन किए गए सभी आदेशों, की गई कार्रवाईयों तथा किए गए कार्यों को इस प्रकार विधिमान्य रूप में किए गए, की गई तथा किए गए समझे जाएंगे तथा सदैव किए गए, की गई तथा किए गए समझे जाएंगे मानो उक्त अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 58 के अधीन जारी की गई थी तथा तदनुसार– (i) सरकार द्वारा या सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए सभी आदेश, की गई कार्रवाईयां या किए गए कार्य, सभी प्रयोजनों के लिए, विधि के अनुसार किए गए, की गई तथा किए गए समझे जाएंगे तथा सदैव किए गए, की गई तथा किए गए समझे जाएंगें तथा विधि के किसी न्यायालय के सम्मुख प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे; (ii) कोई भी वाद या अन्य कार्यवाहियां किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के सम्मुख चलाई या जारी नहीं रखी जाएंगी।

1. 1998 क हारयाणा आधानयम 20 द्वारा रखा गइ तथा आग 1999 क हारयाणा आधानयम 2 द्वारा प्रातस्थापित का गइ तथा आगे 2001 के हरियाणा अधिनियम 4 द्वारा प्रतिस्थापित। आगे 2002 के 19 द्वारा लोप।
2. 1996 के हरियाणा अधिनियम 22 द्वारा जोड़ी गई।
3. 2003 के ह.अ. 5 द्वारा जोडा गया।
4. 2019 के ह. अ. 19 द्वारा विधिमान्यकरण।

अनुसूची [I] [1]

(देखिए धारा 2)

निरसित अधिनियमितियां

वर्ष	संख्यांक	संक्षिप्त नाम	निरसन–सीमा
		सपरिशद् गवर्नर–जनरल के अधिनियम।	
1863	XVI	आबकारी (स्पिरिट) अधिनियम, 1863	सम्पूर्ण
1894	VIII	भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1894	धारा 6
1896	XII	आबकारी अधिनियम, 1896	सम्पूर्ण
1906	VII	आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1906	सम्पूर्ण

[2][अनुसूची II]

पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914, के अधीन अपराधों को करने से विरत रहने के लिए बंध–पत्र

(देखिए धारा 69–क)

चूंकि मुझसे (नाम) ..... पुत्र श्री (नाम) ..... जाति ..... निवास–स्थान ..... जिला ..... से 1914 के पंजाब आबकारी अधिनियम, I, की धारा 61, 63 और 69 के अधीन ..... (समय) की अवधि के लिए अपराध करने से विरत रहने के लिये अपराध न करने के लिए बंध–पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गई है, अतः मैं उक्त अवधि में ऐसा कोई अपने आपको इसके द्वारा आबद्ध करता हूँ, और, मेरे द्वारा उसमें कोई चूक करने की दशा में ..... रुपयों की राशि (राज्य) सरकार के पक्ष में जब्त कराने के लिये इसके द्वारा अपने आपको आबद्ध करता हूँ।

.....19.....की.....तिथि को दिनांकित

हस्ताक्षर

(जहां प्रतिभूओं सहित बंध–पत्र निष्पादित किया जाना है, वहां जोड़ दिया जाये)

हम स्वयं को ऊपर नामित.....आबकारी अधिनियम, 1914, की धारा 61, 63, 69 के के लिए इसके द्वारा प्रतिभू घोषित करते हैं कि वह पंजाब अधीन अपराधों को करने से उक्त अवधि के दौरान विरत रहेगा और उस अवधि में उसके द्वारा किसी चूक की दशा में, हम अपने आपको संयुक्त और पृथक रूप से..... रुपयों की राशि के लिए (राज्य) सरकार के पक्ष में जब्त कराने के लिये आबद्ध करते हैं।

.....19.....की.....तिथि को दिनांकित।

---

1. 1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम, धारा 9 द्वारा विद्यमान अनुसूची को अनुसूची। के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।
2. अनुसूची II उसी द्वारा, धारा 9 द्वारा जोडी गई।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।